

सर्वोदय जगत

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुरव्व-पत्र

वर्ष-38, अंक-17, 16-30 अप्रैल, 2015



पूरे देश की नजर इस बढ़क
गया जिले की तरफ होगी
- विनोबा

जीवनदान भावावेश
में नहीं - जे पी

18 अप्रैल : भू-क्रांति दिवस



सर्व सेवा संघ
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
द्वारा प्रकाशित

आहेंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख्यपत्र

सर्वोदय जगत

सत्य-आहेंसा एवं सर्वोदय-सम्पूर्ण क्रान्ति का संदेश वाहक

वर्ष : 38, अंक : 17, 16-30 अप्रैल, 2015

संपादक	कार्यकारी संपादक
बिमल कुमार	अशोक मोती
मो. : 9235772595	मो. : 7080882866
संपादक मंडल	
डॉ. रामजी सिंह	भवानी शंकर 'कुसुम'
बिमल कुमार	अशोक मोती
संपादकीय कायालय	
सर्व सेवा संघ, साधना केन्द्र	
राजघाट, वाराणसी-221001 (उ.प्र.)	
फोन : 0542-2440-385/223	
ईमेल : sarvodayajagat@gmail.com	
Website : sssprakashan.com	
शुल्क	
मूल्य	: पांच रुपये
वार्षिक	: 100 रुपये
आजीवन	: 1000 रुपये
खाता संख्या : 383502010004310	
IFSC No. UBIN-0538353	
विज्ञापन दर	
पूरा पृष्ठ	: 2000 रुपये
आधा पृष्ठ	: 1000 रुपये
चौथाई पृष्ठ	: 500 रुपये
इस अंक में...	
1. भू-क्रान्ति दिवस पर अध्यक्ष का पत्र	2
2. संपादकीय : जमीन और लोकसत्ता..	3
3. भूदान में सर्वोदय की दृष्टि	4
4. पूरे देश की नजर इस वक्त गया...	6
5. कैसे प्रारम्भ हुआ भूदान का...	7
6. जीवन-दान	9
7. प्रथम भूदान : मंगरौठ...	12
8. वामन के तीन चरण...	14
9. गया में भूदान के लिए बहनों का...	17
10. बोलती तस्वीरें : उपवास सत्याग्रह...	19
11. और अन्ततः - देखिए रे मैंने निर्बल...	20
'सर्वोदय जगत' में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। उनके साथ सर्व सेवा संघ या संपादक मंडल का सहमत होना जरूरी नहीं है।	



18 अप्रैल भू-क्रान्ति दिवस पर

सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष
भाई महादेव विद्रोही का पत्र

आदरणीय बहन/भाई,
जयजगत!

18 अप्रैल को हम 'भू-क्रान्ति दिवस' के रूप में मनाते हैं। संत विनोबा ने नारा दिया था- "सबै भूमि गोपाल की, नहीं किसी की मालिकी।" वे कहते थे कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश पर और हवा पर किसी की मालिकी नहीं हो सकती, उसी प्रकार जमीन पर भी किसी की मालिकी नहीं होनी चाहिए। इसी चिन्तन के आधार पर ग्रामदान का विचार आया था।

देश में जमींदारी तो खत्म हो गयी; पर अब कंपनीदारी आ गयी है। देशी-विदेशी कंपनियों को हजारों-हजार एकड़ जमीन रखने की छूट दे दी गयी है। और, अब तो सरकारें कंपनियों के लिए किसानों की जमीनें अधिग्रहित कर रही हैं। ऐसा लगता है कि सरकार 'कंपनी के एजेण्ट' की तरह काम कर रही है, उनके इशारे पर ही नाच रही है। 'भूमि अधिग्रहण अध्यादेश' उसका दर्शन कराता है। यदि यह सिलसिला बंद नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से 'कंपनीराज' चालू हो जायेगा। सर्व सेवा संघ सरकार के इस कदम को जनद्रोही कदम मानता है।

हम देशभर में फैले प्रदेश सर्वोदय मंडलों, जिला सर्वोदय मंडलों, सर्वोदय मित्र मंडलों, लोकसेवकों एवं सर्वोदय मित्रों से अपील करते हैं कि 18 अप्रैल को अधिक-से-अधिक जगहों पर सभा कर उपरोक्त परिस्थिति से जनता को अवगत कराया जाय। जहां-जहां ग्रामदानी गांव हैं, उनके पदाधिकारियों से मिलकर इस ग्राम-विरोधी, जन-विरोधी एवं कंपनी समर्थक 'भूमि अधिग्रहण अध्यादेश' के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करवाकर राष्ट्रपति को भेजें। इसकी प्रति समाचार माध्यमों एवं सेवाग्राम कार्यालय को भी भेजने की कृपा करेंगे।

महादेव विद्रोही
(महादेव विद्रोही)

जमीन और लोकसत्ता

जमीन का सवाल सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा है। जबकि आज इसे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ जोड़ दिया गया है।

पहले सभ्यता के विकास के संदर्भ में जमीन की अवधारणा की चर्चा करें। राजसत्ता एवं हिंसा केन्द्रित व्यवस्थाओं के दायरे के बाहर परम्परागत समुदायों की संस्कृति का विकास हुआ था। परम्परागत समुदायों में लोग जीवन का पोषण प्रकृति-प्रदत्त स्रोतों से पाते थे। साथ ही प्रकृति के संरक्षण-संवर्धन को भी जीवन-दर्शन का अभिन्न अंग मानते थे। इसके पीछे यह समझ थी कि जीवन के पोषण के स्रोत, जीवन के ही समान महत्वपूर्ण हैं। जीवन एवं जीवन के स्रोत दोनों में ईश्वर की विभुता का दर्शन करते थे। इस दृष्टि से दोहरे दायित्व के सिद्धांत को विकसित किया। अर्थात् जीवन की सुविधाएं प्रकृति से प्राप्त करें, किन्तु साथ ही प्रकृति का संरक्षण-संवर्धन भी करें।

प्रकृति-प्रदत्त स्रोतों को सम्पत्ति के रूप में या केवल संसाधन के रूप में देखने से जो नुकसान हो रहा है, उस बुनियादी प्रश्न को विमर्श के केन्द्र में नहीं लाया जा रहा है।

राष्ट्र या समाज की सम्पत्ति : जब प्रकृति में उपलब्ध जीवन-आधार स्रोतों को अपने निजी स्वार्थ, लोभ व लाभ के लिए उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी तथा जब इस प्रवृत्ति के कारण मनुष्य जाति का व प्रकृति का—दोनों का नुकसान होने लगा, तो इन पर अंकुश लगाने की जरूरत पड़ी। इसलिए इन्हें समाज या राष्ट्र को सम्पत्ति कहा जाने लगा। समाज या राष्ट्र की सम्पत्ति घोषित करने का तात्पर्य यह नहीं था कि ये सृष्टियां व्यक्तिगत सम्पत्ति के समान सम्पत्ति हो गयीं। इसका तात्पर्य यह है कि समाज एवं राष्ट्र एक धरोहर की तरह इनका संरक्षण व संवर्धन करेगा। ये व्यक्तिगत या कारपोरेट समूह की सम्पत्ति नहीं हो सकती हैं, इसे रेखांकित करने व सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी समाज व राष्ट्र ने ले ली है, यह बताने के लिए ही यह घोषित किया गया कि ये राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। समाज व राष्ट्र दीर्घकाल तक बनी रहने वाली इकाईयां हैं तथा प्रकृति की जीवन-पोषण क्षमता को भी दीर्घकाल तक संरक्षित, संवर्धित करना होगा। इसी कारण किसी कालखंड विशेष में समाज या राष्ट्र के तत्कालीन संचालक, प्रकृति की

पोषणीयता बनाये रखने वाले एक ट्रस्टी की तरह ही व्यवहार कर सकते हैं। अगर जल, जंगल, जमीन, खनिज आदि आज समाज या राष्ट्र की सम्पत्ति हैं तो 50 वर्ष बाद या 500 वर्ष बाद या 1000 वर्ष बाद भी समाज व राष्ट्र की सम्पत्ति बनी रहनी चाहिए। आज जो समाज व राष्ट्र के संचालक हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते कि समाज या राष्ट्र की इस सम्पत्ति को अपने दायित्व से मुक्त कर व्यक्तिगत या पूँजीवादी कम्पनियों के हाथ में दे दें तथा 50 वर्ष बाद के या 500 वर्ष बाद के समाज/राष्ट्र के अधिकार का अपहरण कर लें।

आज एक कपटपूर्ण-छलपूर्ण योजना चल रही है। पहले जल, जंगल, जमीन, खनिज आदि को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करो, फिर सरकार इस राष्ट्रीय सम्पत्ति को निजी कम्पनियों के बीच बांट दे। यह अपने दायित्व का सरासर उलंघन है तथा बुनियादी उसूल के खिलाफ है। ऐसे में उसके विरुद्ध सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा एवं असहकार करना सामान्य जनता का युगाधर्म बन जाता है। कोई समाज सत्ता या राष्ट्र सत्ता प्रकृति की सृष्टियों को निजी कम्पनियों की सम्पत्ति बनाने का अधिकार नहीं रखती है। राष्ट्रीय सम्पत्ति का अर्थ ही है कि वह व्यक्ति या निजी कम्पनी की सम्पत्ति नहीं बन सकती।

यह बड्डंत्र क्यों? : प्रकृति में उपलब्ध जीवन को आधार प्रदान करने वाले स्रोतों को सम्पत्ति बनाने का बड्डंत्र, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक पूँजीवादी बाजार के फैलाव का एक अपरिहार्य अंग है।

पूँजीवाद में उत्पादन समाज की जरूरत के लिए नहीं होता, बल्कि लाभ के लिए होता है। अधिकाधिक लाभ पाने के लिए बाजार की ऐसी व्यवस्था बनायी गयी, जिसके अंतर्गत उत्पादन के दो मुख्य स्रोतों—श्रम एवं प्रकृति में उपलब्ध उपादान, दोनों का शोषण व दोहन किया जा सके। इसीलिए पूँजीवाद, श्रम एवं प्रकृति के प्रति हिंसा से ओतप्रोत है। इन दोनों प्रकार की हिंसाओं के बगैर वह टिका नहीं रह सकता। श्रम के प्रति हिंसा में भी, उस श्रम का शोषण अधिक गहरा बनाया गया (ऐसी व्यवस्था बनायी गयी) जो जल, जंगल, जमीन, खनिज आदि से परम्परागत रूप से जुड़ा था। खेती को अलाभकर बनाया गया, वन एवं खनिज से बेदखल किया गया तथा जल को विक्रय की वस्तु बनाया गया। यह सारा खेल

पूँजीवादी लाभ के लिए पूँजीवादी बाजार द्वारा किया गया। पूँजीवादी लाभ एवं संचय की जरूरत को पूरा करने के लिए पूँजीवादी बाजार ने शोषण व दोहन को एक व्यवस्था के अंतर्गत संस्थागत रूप दे दिया और इसे औचित्य प्रदान करने का काम किया।

इसलिए प्रकृति के जीवन-आधार स्रोतों को बचाये रखने के संघर्ष का एक पक्ष यह भी होगा कि निम्न तीन को बाजार के दायरे से बाहर रखा जाये :

1. परम्परागत समुदायों के श्रमिकों के श्रम का मूल्य,
2. परम्परागत समुदायों के श्रम से जो उत्पादन होता है, उसका मूल्य और
3. प्रकृति में उपलब्ध जीवन-आधार स्रोत, जैसे जल, जंगल, जमीन, खनिज आदि।

क्रांतिकारी परिवर्तनों के दौरान राज्य की भूमिका यह बनी थी कि इन्हें बाजार के दायरे से बाहर रखा जाये। अब राजसत्ता इन्हें बाजार के दायरे में ले जाने के लिए नयी-नयी नीतियां बना रही हैं। राजसत्ता अपनी सत्ता का दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए न केवल व्यापक जन-विरोध खड़ा करना होगा, बल्कि सत्ता का स्वरूप भी बदलना होगा।

केन्द्रीकृत उद्योगवाद एवं केन्द्रीकृत राजसत्ता दोनों एक-दूसरे का सहयोग करते हैं। जल, जंगल, जमीन व खनिज का सवाल स्वदेशी व ग्रामस्वराज्य से जुड़ा सवाल भी है। प्रकृति में उपलब्ध जीवन आधार स्रोतों को दोहन से बचाने के लिए प्रकृति के साहचर्य के सिद्धांत को स्वीकार करना होगा। हमारे परिवेश में जो स्रोत हैं, उनका संरक्षण-संवर्धन हम ही कर सकते हैं—वह भी देशज ज्ञान व लोकविद्या के माध्यम से। जो साहचर्य में हैं वे पाते भी हैं व देते भी हैं। सहजीवी ही दोहरे दायित्व का पालन कर सकते हैं। स्वदेशी मानव के अभाव में प्राकृतिक स्रोतों का दोहन सरल हो जायेगा। शरीर श्रम एवं प्रकृति के स्रोतों के संयुक्त योगदान से स्वदेशी सफल होगा।

इसी प्रकार व्यक्तिगत लाभ या कम्पनी के लाभ के लिए इन्हें सम्पत्ति न बनाया जाये तथा समाज इन्हें अपनी धरोहर के रूप में देखे, इसके लिए ग्रामस्वराज्य की ओर बढ़ना होगा। बाजार के सामने राजसत्ता अपना दायरा सिमटाती जा रही है। जरूरी यह होगा कि बाजार तथा राजसत्ता का दायरा भी सिमटे और इनकी जगह लोकसत्ता का दायरा व्यापक होता जाये।

भूदान में है सर्वोदय की दृष्टि

विनोबा ने क्यों बनाया गया को भारत का पुण्य-क्षेत्र?



□ दादा धर्माधिकारी

भूदान यज्ञ की गंगोत्री पोचमपल्ली में हजारों एकड़ जमीन स्वेच्छा से प्राप्त होने के बाद जब विनोबा ने भूदान यज्ञ को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश की तो उन्हें तेलांगना को छोड़ दूसरे प्रदेशों की ओर रुख करना पड़ा। परंतु तब वहां के कार्य में शिथिलता आ गयी। विनोबा ने कहा— तेलांगना में क्या हुआ? हम गये तो काम हुआ, उसके बाद फिर से बंद। विनोबा ने यहां तक प्रश्न उठाया कि गांधी के जाने के बाद 5 वर्षों में भी हमने क्या किया? इसके लिए कई बातों की ओर ध्यान दिलाया। पहला तो रचनात्मक कार्यों से आसक्ति, दूसरा यह कि लोग चाहते हैं कि कोई बड़ा नेता आयेगा तभी काम होगा। कुछ लोग तो सिर्फ उनकी ही आशा करते हैं। कहते हैं विनोबा के आने पर ही काम होगा। लेकिन अब तो हम बिहार में गिरफ्तार हो गये हैं। उन्होंने भूदान की ब्यूह-रचना को स्पष्ट करते हुए कहा कि मेरे काम करने का ढंग अलग है। पहले व्यापक प्रचार करना था, इसलिए इधर-उधर घूमा और कहीं 10 हजार और 20 हजार जैसी जमीन प्राप्त करते हुए 3-4 लाख एकड़ जमीन प्राप्त कर ली है। इससे हवा फैली है किन्तु यदि इसी तरह काम करता रहूँ तो 5-6 साल में हम 15-20 लाख एकड़ ही जमीन प्राप्त कर पायेंगे और इतने से क्या होगा? मुझे तो 5 करोड़ एकड़ जमीन हासिल करनी है। उससे कम में नहीं बोलूंगा। सिर्फ बिहार में हमने 32 लाख एकड़ की मांग रखी है।

विनोबा ने भारी विह्वलता के साथ कहा कि हमें बहुत गहरा भी कहीं जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने बिहार चुना है और बिहार में भी गया जिला चुना है। विनोबा ने गया को 'स्टेटेजिक प्लाइंट' बताया और कहा कि 'यहां हिलाऊंगा तो पूरा प्रान्त हिलेगा।' दूसरे गया बुद्ध भगवान की भूमि है। सारे हिन्दुस्तान के लोग यहां श्राद्ध करने आते हैं और यहां कांग्रेस के अलावा समाजवादियों की अच्छी ताकत है और यह स्थान बिहार के मध्य में है।

ज्ञातव्य है कि इसी गया में समाजवादी जयप्रकाश ने भूदान के लिए अपना जीवन दान ही दे दिया था, जो विनोबा का जयप्रकाश में एक बड़े भरोसा को इंगित करता था। विनोबा चाण्डिल आश्रम में बीमार थे। गया से विमला ठकार प्रभावतीजी के साथ 19 दिसंबर को चलकर 20 दिसंबर को प्रातःकाल चाण्डिल पहुंची। साथ में जेपी का पत्र भी था, जिसे दामोदर भाई ने विनोबाजी को पढ़कर सुनाया। बाबा ने कहा— "जयप्रकाशजी मेरी चिन्ता छोड़कर भूदान का ही काम करें। उनके काम से ही मुझे आराम मिलता है और मिलेगा। देश में सर्वत्र कार्यकर्ता शिथिल हो रहे हैं। तेलांगना में मैं गया उस वक्त सबने कितना काम किया। मैं चला आया काम ढीला पड़ गया, मुझे इसका दुख है। गया जिले की जिम्मेवारी अब जयप्रकाशजी पर है। उनका काम देखकर मुझे संतोष होता है।"

मुझे पूरा विश्वास है कि पू. दादा धर्माधिकारी के इस आलेख में विनोबा द्वारा गया को भूदान का केन्द्रबिन्दु बनाने के कारण के साथ-साथ पाठकों को भूदान की दृष्टि का भी स्पष्ट पता चलेगा।

-कार्य. सं.

पुण्यक्षेत्र गयाजी

आज विनोबा गया को सारे भारत का पुण्य-क्षेत्र और विधायक जन-शक्ति की अभिव्यक्ति का परीक्षा तीर्थ बना रहे हैं। गयाजी में श्रद्धालु लोग अपने-अपने पितरों का संतर्पण करने जाते हैं। पुराने जमाने में योद्धा अपने प्रतियोद्धा के खून से पितरों का संतर्पण करते थे। रण-यज्ञ में बलि देने का आग्रह तो रखा जाता था; लेकिन अपनी बलि नहीं, प्रतिपक्षी की। प्राचीन काल में जितनी क्रांतियां हुईं, उनका स्वरूप युद्ध का

होता था। नाम क्रांति का होता था, किन्तु स्वरूप युद्ध का रहता था। हर क्रांति में दो पक्ष होते थे : एक स्थितिवादी ओर दूसरा विप्लववादी। एक पक्ष सफल होता था, दूसरा परास्त होता था। विप्लववादी पक्ष की विजय का ही नाम क्रांति था। क्रांति की प्रक्रिया प्राथमिक अवस्था में थी। हम एक पक्ष की विजय को ही लोक-क्रांति समझते थे। जब से गांधी का आविर्भाव हुआ, क्रांति की कल्पना में और प्रक्रिया में ही क्रांति शुरू हो गयी।

'प्रतिपक्षी' कोई नहीं

भूदान-यज्ञ की भूमिका और प्रक्रिया में असाधारण विशेषता यह है कि उसमें कोई किसी का प्रतिपक्षी नहीं। क्रांति में सभी एक-दूसरे के सहायक और सहयोगी हैं। इसीलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन् जैसे जगद् विख्यात दार्शनिक को भूदान की मिट्टी में विश्वरूप के दर्शन हुए और सहयोगी लोकसत्ता और कल्याणकारी लोक-राज्य के प्रवक्ता, जवाहरलालजी को उसमें सहयोगात्मक और सम्मतिमूलक अपूर्व क्रांति का आश्वासन

दिखायी दिया। यह क्रांति राम से छीनकर श्याम को देने की प्रक्रिया नहीं है। राम और श्याम, दोनों को सहयोगी और सहभागी बनाने की प्रक्रिया है। राम और श्याम में से कोई एक परास्त या समाप्त हो जाता है, तो वह क्रांति न सहयोगात्मक है और न कल्याणकारी। कल्याणमय और सहयोगात्मक क्रांति तब होगी जब राम और श्याम, दोनों सुरक्षित रहेंगे और झगड़े का मूल नष्ट होगा।

सार्वलौकिक विश्वजित यज्ञ

प्राचीन काल में विश्वविजेता सार्वभौम चक्रवर्ती सम्प्राट अश्वमेध किया करते थे। कुछ प्रतापी पुरुष विश्वजित और सर्वजित यज्ञ भी किया करते थे। विनोबा का यह लोकसूय यज्ञ है। इसमें विश्वजित और सर्वजित की सारी विशेषताएं हैं, परंतु एक मूलभूत भेद है। यह किसी एक व्यक्ति को या समूह को विश्व का विधाता या विश्व का विजेता बनाने का आयोजन नहीं है। यह सार्वलौकिक स्वामित्व की स्थापना का प्रयास है। इसमें व्यक्ति के और अल्प समुदायों के स्वामित्व का निराकरण है और सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना का उपक्रम है। अतः विनोबा का यह आंदोलन सभी के पक्ष में है, विषय में किसी के नहीं। सभी के हित के लिए है, किसी की हानि के लिए नहीं। इसमें विश्वविजय की आकांक्षा नहीं है, विश्व के साथ तन्मयता की आकांक्षा है। अपनी अहंता और पृथक सत्ता को सर्वात्म भाव में विलीन कर देने की साधना है।

भूमाता के उत्तराधिकारी

हजरत ईसा ने कहा था कि जो सबसे अधिक नग्न होगा, वही इस भूमाता का उत्तराधिकारी होगा।

बोधगया की मिट्ठी का चमत्कार

विनोबा एक विनयशील और विवेकशील व्यक्ति हैं। उनकी व्यवहार-नीति का पहला सूत्र है कि कोई काम शुरू न करना बुद्धिमानी का पहला लक्षण है। ऐसे व्यक्ति के चित्त में किसी संकल्प का आविर्भाव होना अपने आपमें एक विशेष घटना है। गयाजी में

ही उनको ऐसे महान् संकल्प की प्रेरणा हुई, यह गया की मिट्ठी की विशेषता है। भौतिक सत्ता और वैभव के सारे साधनों का जिस सिद्धार्थ ने विचारपूर्वक परित्याग किया, उसे गयाजी की भूमि पर बोध हुआ। भूमिदान-यज्ञ में स्वामित्व और सम्पत्ति की भावना की ही आहूति देनी है, इसलिए गयाजी को अपना संकल्प-क्षेत्र बना कर विनोबा ने उस भूमि को अपनी श्रद्धा समर्पित की है और उसे महामहिमान्वित किया है।

'प्रतिदान' से पूर्वजों का तर्पण

लाखों लोग गयाजी में अपने दान से पितरों का संतर्पण करने आते हैं। उनकी यह श्रद्धा होती है कि इस श्राद्ध से उनके पूर्वजों का उद्धार होगा। इस क्षेत्र के आसपास रहने वाले सभी वैभव-सम्पत्र और साधन-सम्पत्र लोगों ने आखिर इस दान-वृत्ति और श्रद्धालुता से ही लाभ उठाया है। विनोबा कहते हैं कि प्रतिदान का समारंभ गयाजी से ही शुरू होना चाहिए। वे अभागे हैं, जो इसे संकट समझते हैं। भाग्यवान् वे हैं, जो इसे प्रतिदान के द्वारा अपने पितरों का संतर्पण करने का सुमुहूर्त समझते हैं।

कीमती भूमि का दान भी कीमती

कुछ लोग कहते हैं कि गया की भूमि कीमती है, दूसरी जगह की भूमि सस्ती है, इसलिए गया का लक्षांक (कोटा) उस हिसाब से रखा जाना चाहिए था। सुनने में बात कुछ युक्ति-संगत-सी मालूम होती है, लेकिन है बिलकुल भ्रमपूर्ण। मेरे पास मूँगफली है, आपके पास काजू है। मूँगफली सस्ती है, काजू महंगे हैं। लेकिन भूख लगने पर आप काजू पेट भर खाते हैं, मैं मूँगफली पेट भर खाता हूं। किसी अतिथि को मैं भरपेट मूँगफली खिलाऊंगा और आप भरपेट काजू खिलायेंगे। क्रांति में आवश्यकता का हिसाब होता है, पैसे का नहीं। जिसके पास हल्की जमीन है, वह हल्की जमीन देता है। जिसके पास भारी जमीन है, वह भारी जमीन देता है। हरेक अपना-अपना नियत हविर्भाग देता है। जो प्रामाणिकता से और मुक्त हस्त से देता है, वह

सार्वत्रिक विश्वास और विश्वव्यापी सम्पत्ति का अधिकारी बनता है। इसमें कोई कुछ नहीं खोता, सभी सब कुछ पाते हैं। यह यथार्थ में सर्वजित् और विश्वजित् यज्ञ है।

कीमती भूमि नहीं, पुण्यभूमि

आप कहते हैं कि गया की भूमि कीमती है। विनोबा कहते हैं, गया की भूमि पवित्र है। भला पवित्रता की भी कोई कीमत आंकी जा सकती है? वह भूमि पवित्र क्यों है? इसलिए कि यहां पर शताब्दियों से मनुष्य दान-धर्म का आचरण करता आया है। आज विनोबा उसी पवित्रता को बढ़ाने के लिए सबका अभिनिमंत्रण कर रहे हैं। गया की भूमि का महत्त्व इसलिए नहीं है कि वह महंगी है, बल्कि इसलिए है कि वह पुण्य-भूमि है। उसकी इस पुण्यमयता को बढ़ाने के लिए विनोबा अग्रसर हुए हैं।

अखिल लोक का उद्धार

इस यज्ञ का 'यजमान' दरिद्रनारायण है और 'होता' विनोबा हैं। जयप्रकाश बाबू जैसे 'प्रस्तोता' और 'उद्गाता' का अनमोल सहयोग उन्हें प्राप्त है। शंकरराव देव, जाजूजी तथा सर्व सेवा संघ के अन्य प्रमुख व्यक्ति 'अधर्यु' बनकर इस यज्ञ को सम्पन्न करने में अपनी-अपनी शक्ति और बुद्धि लगा रहे हैं। अब विनोबा गया जिले की जनता में श्रद्धा रखकर फिर गया जिले में प्रविष्ट हो गये हैं। मसला हल करना है और बगर झगड़े के हल करना है। वर्ग मिटाना है और मनुष्यों को मिलाना है। यह उनका सर्व कल्याणकारी संकल्प है। गया के सभी परिस्थितियों के लोगों को इस संकल्प का स्वागत करना चाहिए और उसकी परिपूर्ति में अपने आपको कृतकृत्य समझना चाहिए। जन-श्रुति के अनुसार गयाजी में प्रजापति ब्रह्मदेव ने भी सारी प्रजा के उद्धार के लिए श्राद्ध किया। विनोबा के भूमि-दान यज्ञ के द्वारा हमारे पूर्वजों की समस्त पीड़ियों का संतर्पण और अखिल लोक का उद्धार होने वाला है। इस महोत्सव में क्या गयाजी के तीर्थवासी लोग उत्साह से सम्मिलित नहीं होंगे। विनोबा उपयुक्त उत्तर की प्रतीक्षा में है। □

पूरे देश की नजर इस वक्त गया जिले की तरफ होगी

भूदान आंदोलन की कार्य-प्रणाली

□ विनोबा



गया जिले में अब मैं चौथी बार प्रवेश कर रहा हूं। इस वक्त संकल्प पूर्ति होने तक वहां से न हटने की बात है। इसका अर्थ बहुत गंभीर हो जाता है। सब कार्यकर्ताओं को संबंध होना पड़ेगा। मिलजुल कर और ढंग के साथ काम में लग जाना होगा। इसके पीछे कुछ सुझाव मैं पेश कर रहा हूं :

1. सब प्रकार की जानकारी प्राप्त करना—थानेवार और गांववार जमीन कितनी उपलब्ध है, छठे हिस्से के अनुपात से और भूमिहीनों की गरज से कितनी जमीन प्राप्त करनी होगी, कितनी प्राप्त हुई है, बड़े लोग कौन-कौन हैं, इत्यादि।

2. गांव-गांव में भूमिहीनों के लिए कितनी जमीन जरूरी है, यह जानने के लिए जिन गांवों में पहले कुछ जागृति हुई हो और जहां जमीन भी मिली हो, वहां भूमिहीनों की सभा भी कर सकते हैं और उनकी मांग गांव

वालों के सामने रख सकते हैं। इसमें वर्ग-भावना को उत्तेजन देने का सवाल नहीं है, बल्कि हिसाब के साथ गांव का काम करने का और गांव की समस्या गांव वालों को समझाने का विचार है।

3. विचार-प्रचार की योजना।

हर गांव में 'भूदान-यज्ञ-विहार' का कोई ग्राहक हो, जो खुद पढ़ेगा और हफ्ते में एक दफा गांव की सभा करके उनका पढ़ कर सुनावेगा। दूसरा भी 'सर्वोदय साहित्य' गांव-गांव पढ़ा जाय, ऐसी भी योजना करना।

4. दान-पत्रों की इष्ट संख्या पूर्ण करना। बिना विचार समझाये दान नहीं लेना है। डराने-धमकाने की सख्त मनाही है। दान लिखवाने वाले के भी दस्तखत दान-पत्र पर होने चाहिए।

5. पुराने दान-पत्र, जिनमें खाता, खसरा-नंबर वगैरह भरना रह गये हों, पूर्ण करा लेना। मुख्यतः अधिक जमीन के दान-पत्र फौरन पूर्ण होने चाहिए, जिससे भूमि के बँटवारे का काम जल्द शुरू किया जा सके।

6. बड़े लोगों के पास, जिनसे उनका प्रेम-संबंध हो या उन पर जिनका नैतिक वजन हो, उनके द्वारा पहुंचने की योजना। जहां हमारे पत्र की जरूरत हो, वहां पत्र भी दिया जा सकता है।

7. सब पक्ष और अपक्ष कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग हासिल करना, और जिससे जितना काम मिलेगा, उतना संतोषपूर्वक ले लेना चाहिए। जिससे काम नहीं मिलेगा, उसकी निन्दा नहीं करनी चाहिए। सबका मान बढ़ाना, सबकी इज्जत करना, सबमें सौमनस्य स्थापित करना, यही हमारा अभीष्ट है।

8. जहां हम जायेंगे, विशेष व्यक्तियों से अलग-अलग बात भी करना चाहेंगे। जिनसे बात करनी हो, उनका नाम चाहेंगे और उनके उद्योग आदि के बारे में थोड़े में जानकारी संक्षिप्त रूप में हमारे पास देनी चाहिए, जिससे ज्ञानपूर्वक बात हो सके।

9. जहां हम जायेंगे, वहां हमारी तैयारी में एकआध टोली काम करती होगी। वैसे ही, स्थान छोड़ने के बाद वातावरण का लाभ उठाने वाली टोली काम करती रहनी चाहिए।

10. गया शहर में और सब्सिडीविजन के मुख्य गांवों में सम्पत्ति-दान की बात समझानी चाहिए और जब कि प्राप्त जमीन के बंटवारे का समय आया है, सम्पत्ति-दान के बिना बंटवारे का काम सफल नहीं हो सकेगा, इस बात की तरफ दाताओं का ध्यान खींचना चाहिए।

11. कूप-दान कुछ मिला है। उस काम को और बढ़ावा देना है, इसलिए कहां-कहां कूप बनाने हैं, इसकी योजना तैयार करना।

12. जगह-जगह छोटे-छोटे शिविर चलाना। शिविर तीन दिन से ज्यादा लम्बे न हों। शिविर के बाद कार्यकर्ताओं को फौरन काम पर भेजना चाहिए। कार्यकर्ताओं को उनकी शक्ति के अनुसार साहित्य बेचना, विचार-प्रचार करना, संदेश पहुंचाना, दान-पत्रों का खाता-खसरा नंबर आदि पूर्ण करा लेना और दूसरे इंतजाम आदि कई कामों में लगा सकते हैं। भूमि-प्राप्ति का काम तो है ही।

13. सब थानों में खादी-केन्द्र शीघ्र स्थापित होने चाहिए। भूदान-यज्ञ के प्रचार की हम खादी केन्द्रों से अपेक्षा नहीं करते। पर भूदान-यज्ञ और खादी ग्रामोद्योग, दोनों एक ही समग्र विचार के अंग हैं, इसलिए खादी केन्द्र योजना से हमारे काम को सहज ही बल मिलेगा। खादी के साथ साहित्य-प्रचार गांव वालों में सहज हो सकता है, और होना चाहिए।

14. महिलाओं की शक्ति का विशेष उपयोग होना चाहिए। महिलाओं की शक्ति जगाना एक स्वतंत्र कार्य ही है और भूदान के लिए वह जरूरी भी है।

15. विद्यार्थियों और शिक्षकों के जरिये विशेषतः साहित्य-प्रचार का काम हो सकता है। साहित्य के अध्ययन के लिए उनके अध्ययन-मंडल भी बनाये जा सकते हैं।

जनहितकारी आंदोलनों में साहित्यिकों का भी अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। उनकी सहानुभूति और सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की जाय। उनकी प्रेरक रचनाओं को 'भूदान-यज्ञ विहार' में उचित स्थान मिल सकता है।

16. व्यापारी, वकील, डॉक्टर इत्यादि भिन्न-भिन्न वर्गों में प्रवेश करने की योजना होनी चाहिए।

17. भूदान-यज्ञ में जो शांतिमय क्रांति का विचार निहित और अभिप्रेत है, उसको समझ कर किसी काम में अपना अधिक-से-अधिक समय, चिन्तन और ताकत लगाने का संकल्प करने वाले सेवकों की एक सेना तैयार करनी है। इस तरह के जो भाई होंगे, उनसे हम बात करना चाहेंगे। उनके लिए शिक्षण-योजना भी करनी है।

18. कार्यकर्ताओं को किसी के पीछे किसी के दोष की चर्चा या निन्दा न करने का ब्रत ही लेना चाहिए। दफ्तर में सारा कार्यक्रम सुव्यवस्थित होना चाहिए। पत्रों का उत्तर समय पर जाना चाहिए। रोज-ब-रोज का हिसाब पूर्ण करके ही रात में निद्रा लेनी चाहिए। प्रार्थना यांत्रिक न हो। मंगल-प्रभात, गीता-प्रवचन, स्थितप्रज्ञ-दर्शन, ईशावास्य उपनिषद इत्यादि का पठन-मनन कार्यकर्ताओं की प्रार्थना का अंग होना चाहिए।

यह मैंने थोड़े में अपने कुछ सुझाव पेश किये हैं। इनकी पूर्ति में व्यवस्थापकों को और भी बहुत कुछ सूझ सकता है। वह सब कर लेना चाहिए। 'करेंगे या मरेंगे', यह संकल्प बापू ने हमको सिखाया है। बापू तो वह पूर्ण करके चले गये। हमें वह करना बाकी है, यह ध्यान में रखकर और सारे देश की नजर इस वक्त गया जिले की तरफ होगी, इसका ख्याल रखकर, हमें अपने सर्वस्व की बाजी इस कार्य में लगानी है। विनोबा के प्रणाम!

ता. 25-1-1954

संस्मरण

कैसे प्रारम्भ हुआ भूदान का सिलसिला

□ दिवाकर : वेंकटेशन



श्री दिवाकर विनोबा-यात्री दल के साहित्य-प्रचारक और श्री वेंकटेशन स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में उत्तर प्रदेश से ही विनोबाजी के साथ यात्रा में रहे हैं। विनोबाजी अकसर कहा करते हैं कि 'राम का काम तो बंदरों ने किया था, अतः यह तो भगवान् का काम है, छोटे-छोटे लोग भी इसको सफलता के साथ कर सकते हैं।' इसी की अनुभूति श्री दिवाकर भाई और श्री वेंकटेशन अवरहिल्लै को इस पदयात्रा में हुई। अपनी बीमारी के काल में विनोबा ने यात्री-दल के अधिकांश लोगों को गया भेज दिया था। वहाँ सबने जो महत्वपूर्ण काम किया, उनमें से दो सेवकों के ये अनुभव औरों को भी प्रेरक साबित होंगे, इसमें संदेह नहीं।

-कार्य. सं.

पू. विनोबा की आज्ञा से हम लोग गया में आये, तो पू. दामोदरदासजी ने बोधगया थाने में हमको भेज दिया। स्वतंत्र रूप से भूदान-प्राप्ति का काम करने में अभी हम अपने को उतने समर्थ नहीं मानते थे। आत्मविश्वास और लोगों को समझाने की शक्ति की कमी के कारण भी हमको संकोच होता था। साथ ही यह लगता था कि इस पराये मुल्क में हमको कौन जमीन देगा? लेकिन मन में एक नयी उमंग थी। हम लोग निकल पड़े। हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, श्री महतोजी आये। बोधगया पहुंचकर हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली तो पांच-छह कार्यकर्ता ही आये! चार-पांच दिन के बाद कार्यक्रम शुरू हो, ऐसी उनकी राय रही। परंतु हमने दूसरे दिन से ही काम आरम्भ कर दिया और पास के तारेड़ी ग्राम में गये। गांव के सब लोगों को बुलाया। फिर प्रार्थना की और भूदान का संदेश सुनाया। सबसे पहले एक हरिजन कार्यकर्ता ने दान किया। बाद में गांव के लोगों ने भी दिया। कुल नौ दाताओं ने दिया। हृदय को बड़ा आश्वासन मिला। उत्साह बढ़ा। फिर गांव के सभी लोगों से, दो दिन वहाँ रुककर, हमने दान लिया। एक बीमार व्यक्ति, जो चल नहीं सकता था, वह भी ज्यों त्यों करके आया और दान देकर गया। उत्साह बढ़ा। फिर वहीं, पांच तारीख को, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। अब के पचीस कार्यकर्ता आये। दामोदरदासजी को भी बुला लिया था। कार्यकर्ताओं में उत्साह जगा। फिर दूसरे दिन में मांगना शुरू हुआ। रामपुर गांव में कुछ कार्यकर्ता पहले ही पहुंच गये थे, तो वहाँ जाते ही हमें दान मिला। छोटे-छोटे काश्तकारों के एक छोटे गांव में उमीद नहीं थी कि जमीन मिलेगी। बहुत देर तक समझाना पड़ा। बाद में दान मिलना शुरू हुआ। एक बुढ़िया ने तो अपनी सारी जमीन, ढाई बीघा दे दी। हमारा उत्साह बढ़ता गया।

अब कुछ कार्यकर्ता भी साथ देने लगे। पांच दिन हम लोग इस बार घूमे, जिसमें ढाई सौ दाताओं से दो सौ एकड़ जमीन मिली।

अविस्मरणीय प्रसंग

दूसरी यात्रा में दूसरा सर्कल लिया। एक जगह तो काफी समझाना पड़ा, फिर भी दान नहीं मिला। गांव वालों ने कहा, ‘रात भर सोच कर सुबह बतायेंगे।’ और सुबह खुद वे ही आकर अपना दान लिखा गये, एक का छोड़ कर सबने दिया। यहां पर एक ऐसा अनुभव मिला, जिसे जिन्दगी भर नहीं भूल सकते। एक हरिजन सूरदास आये। कहने लगे, ‘मेरा कार्य तो किसी प्रकार चल ही रहा है, तो मेरी सारी जमीन ले लीजिए। किसी गरीब का भला हो जायेगा।’ हम गदगद हो गये। हमने सारी जमीन तो नहीं ली, दो कट्टा भर लिया।

साक्षात्कार के दृश्य

अब तो सिलसिला चल चुका था। कई जगह तो विशेष समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कई गांवों में जहां छोटे-छोटे काश्तकार थे, सबने कुछ-न-कुछ दिया। हरिजन भाई तो अपना थोड़ा-थोड़ा दान लिखाकर ही खुश होते थे। गंगर गांव में दाताओं की भीड़ हो गयी और लिखने वाले सिर्फ हम दो। गत साढ़े दस बजे तक काम चलता रहा। अब सुबह लिखायेंगे, कह कर हम उठे। सुबह सबने खुद ही दान-पत्र भर दिये। गांव के दो अंधों ने तक दान दिया। एक अद्भुत साक्षात्कार हमको रहा था।

छोटे-छोटे गांवों में कार्यकर्ता नहीं पहुंचे थे। विनोबा और भूदान का नाम तक वहां मालूम न था। हमारी बातें सुनकर उनको बड़ा आश्र्य होता। एक गांव में उन्हें समझा कर हम लोग निकले तो बारिश बरसी। अँधेरी रात, रास्ता अपरिचित और टेढ़ा-मेढ़ा और गढ़े-नाले भरे हुए। हम रास्ता भूल गये। चलते गये। एक अनजाने गांव में पहुंचे। बिलकुल अपरिचित। हम निराश थे, मगर

मानो भगवान् ने ही भेजा हो, एक भाई आये। सबके लिए खुद खाना बनाया और बड़े प्यार से खिलाया। सुबह वहीं पर हमने अपनी यात्रा का मकसद बताया, तो उसी भाई ने खुद भी दान दिया और औरों से भी दिलवाया। इस प्रकार इस बार छः दिन में दो सौ एकड़ जमीन मिली।

बोधगया के केन्द्र में कुछ विश्राम करके हम लोग फिर निकले। बसाड़े में तीस वर्ष के किसान को वहां के जमींदार द्वारा बेदखल होते देखकर हमको बड़ा दुख हुआ। विनोबाजी का बेदखल न होने का संदेश हमने उनको सुनाया। इस यात्रा में ढेढ़े सौ एकड़ जमीन मिली। लालजी सहाय, रामानंद भारती आदि कार्यकर्ताओं ने हमारी बड़ी मदद की।

दर्दनाक हालत

इस प्रकार दो एक दिन विश्राम करके हम पांच-छह रोज घूमते और कभी स्वतंत्र तथा कभी कार्यकर्ताओं के साथ जमीन प्राप्त करते। चार बार के प्रवास में करीब एक सौ बीस गांवों में ग्यारह सौ दाताओं द्वारा साढ़े छह सौ एकड़ जमीन मिली। हमने अपने दौरे में देखा कि लोग बड़े दुखी हैं। किसी का खेत नीलाम कर दिया गया है, तो किसी की जबरदस्ती से बेदखली हुई है, तो कोई कर्ज में पिसा जा रहा है। अधिकतर लोग जमींदारों की खेतों में ही बँटाई या मजदूरी से काम करते हैं। निजी खेती बहुत कम है। मजदूरों की संख्या ही बहुत अधिक है। हरिजन लोग तो करीब-करीब सब ही मजदूर हैं। ना पूरी मजदूरी, ना पूरी शिक्षा! ऐसी बुरी हालत है।

वातावरण-परिवर्तन

मटिहानी ग्राम में एक बड़े काश्तकार से जमीन मांगी, तो उसने टाल ही दिया। हम धन्यवाद देकर वहां से लौटे और उसी ग्राम के सब छोटे-छोटे काश्तकारों से प्रेमपूर्वक भूमि प्राप्त की। तीसरे दिन उस टाल देने वाले काश्तकार भाई ने साढ़े सत्रह एकड़ जमीन

खुद बुलाकर दी! कई गांवों में इससे भी बड़ी अड़चनें आयीं। घटाड़ी गांव में ऐसा ही विचित्र अनुभव हुआ। पूरा गांव एक ही जमींदार का था, सिर्फ चार-पांच हरिजन किसान थे। जमींदार ने कहा, ‘एक इंच भी जमीन यहां नहीं मिलेगी, आप लोग चले जाइए।’ हम समझाते रहे और समझाते रहे। उन हरिजन किसानों ने तो फिर थोड़ा-थोड़ा दान दे ही दिया। जिसने एक इंच भी न देने का कहा था, दूसरे दिन उसने भी फिर सवा सौ बीघे का दान-पत्र भेज दिया!

अपनी यात्रा में दो चीजें हमने तीव्रता से अनुभव कीं। जमींदारों ने गरीबों पर बड़े अत्याचार किये हैं। जमीनें जबरदस्ती छीन ली गयी हैं और उनकी दशा बुरी तरह बिगड़ गयी है। लोग बहुत बेहाल हैं। एक सर्कल में तो एक जमींदार भाई ने शुरू में हमारे ही खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया था, मगर फिर भी कुछ दान वहां मिला।

दूसरी बात यह पायी कि समझाने-बुझाने के बाद और शंका-निवारण के बाद लोग जमीन दे देते हैं। हम भी सर्वप्रथम छोटे-छोटे काश्तकारों से ही लेना शुरू करते हैं, परिणामस्वरूप दूसरे लोग भी दिये बिना नहीं रहते। अगर छोटे काश्तकारों से भी लेने में दिक्कत हुई, तो उनसे भी गरीब, हरिजन किसानों से लेना शुरू करते हैं और वे सहर्ष देते भी हैं, चाहे दो कट्टा दें, चाहे दो धुर। इन सब घटनाओं का असर वातावरण पर पड़ता है और हवा बदल जाती है। हमारी पदयात्रा में ऐसी हवा बदलते हमने देखा है एवं गांवों पर उसका अच्छा परिणाम भी हुआ है। हमको छोटे-छोटे किसानों से ही जमीन मिली है, परंतु वही बहुत बड़ा आधार भी महसूस हुआ है।

श्रद्धा का बल और बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ था, इसलिए हम जैसे मामूली सेवकों को भी इतना यश मिला। □

एक करवट इतिहास की जीवन-दान

मेरा निर्णय भावावेश में नहीं

□ जयप्रकाश नारायण



बोधगया के सर्वोदय सम्मेलन की विशेषता एक नये आंदोलन, 'जीवनदान' के श्रीगणेश के रूप में प्रकट हुई। जब से विनोबाजी ने भूदान प्रारम्भ किया, उसमें से साधन-दान, सम्पत्ति-दान, बुद्धि-दान, श्रम-दान, प्रेम-दान आदि के अंकुर फूटते रहे। मूल आंदोलन से इनका विकास तर्क-सिद्ध ही था। तथ्य तो यह है कि ये सब प्रारम्भ से ही भूदान में सन्त्रिहित तथा उपलक्षित थे। इसी प्रकार जीवनदान भी इसमें सन्त्रिहित था और जब उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न हुई और उन्होंने उसके प्रकट होने की मांग की, तो वह अंकृति हो उठा। वास्तव में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी थी, जब कि जीवन-दान जैसे उपक्रम के बिना आंदोलन के और ऊपर उठने की आशा नहीं दिखायी दे रही थी। इस विषय पर जो आलोचनाएं प्रकाशित हुई थी, उनसे ऐसा लगता था कि इस आंदोलन के लोगों ने भलीभांति नहीं समझा है। इस पूरे प्रकरण 'भूदान' से 'जीवनदान' की प्रक्रिया और उसके आरोहण को संक्षेप में जीवनदानी जयप्रकाश नारायण के इस आलेख से भलीभांति समझा जा सकता है।

—कार्य. सं.

मेरा निर्णय भावावेश में नहीं
मुझे कोई बहुत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करना नहीं है और न उसकी आवश्यकता ही है। इतना कहना पर्याप्त है कि मैंने जो निर्णय किया, वह अकस्मात् किसी भावावेश में नहीं किया। पिछले कई महीनों से मैं धीरे-धीरे इसकी ओर प्रेरित हो रहा था। मेरे इस कदम का अर्थ उन आदर्शों को तिलांजलि देना भी नहीं था, जिनको मैं इतने वर्षों से वरण किये हुए था। बल्कि इसका अर्थ तो यह था कि मैं अनुभव कर लिया है कि भूदान के अथवा गांधीवादी तरीके से ही उन आदर्शों को पूरा किया जा सकता है और उनकी अधिक अच्छी तरह रक्षा की जा सकती है।

जीवन-दान का आशय

तब जीवनदान का पूर्ण आशय क्या है? इस अर्थ में कि कोई अपने जीवन को किसी उद्देश्य के लिए अर्पित करे, 'जीवनदान' कोई नयी बात नहीं। इसके अतिरिक्त जिन्होंने बोधगया में अपने जीवनदान की घोषणा की, उनमें से कई लोग तो पहले से ही अर्पित जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब क्या यह आवश्यक था कि वे अपने जीवन को पुनः समर्पण करें? और किसी को इस प्रकार अपना जीवन समर्पण करते हुए राजनीति से

अलग रहने की ही आवश्यकता क्यों है? ये और इस प्रकार के दूसरे सवाल उठते हैं। मैं उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

पहले तो, जीवनदान इससे भिन्न नहीं कि कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए अपना जीवन अर्पित करे। लेकिन यह अर्थ तो किसी विशेष कार्य के लिए है, न कि केवल भूदान के लिए, जैसा कि प्रायः कहा गया है। यह तो उन सब बातों के लिए है, जिनके लिए कि भूदान शुरू हुआ है। बोधगया में एकत्र प्रायः सभी लोग किसी न किसी रूप में जीवनदानी थे। दूसरे शब्दों में, वे राजनीति, खादी, बुनियादी शिक्षा, हरिजनोद्धार, धर्म या अन्य किसी कार्य के लिए अपना जीवन पहले से ही भेंट किये हुए थे। जब उनमें से कुछ ने मेरे आवाहन का स्वागत किया, तो इसका यह अर्थ नहीं कि उनके कार्यों को, जिन्हें कि वे पहले से ही करते आ रहे थे, करने की वे पुनः शपथ ले रहे हैं और इस प्रकार एक थोथा अथवा अनावश्यक भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके विपरीत, जीवनदान का अर्थ यह था कि उन्होंने भूदान-आंदोलन का, उसके सांगोपांग रूप में, ऐसा स्पष्ट दर्शन किया कि वे राजनीति सहित अन्य किसी भी कार्य को छोड़कर इसके लिए अपना जीवन अर्पित करने को प्रेरित हो उठे।

प्रोत्साहित होने योग भूदान में ऐसी कौन-सी प्रेरणा है? ऊपर से देखने वालों के लिए तो यह एक केवल कृषि सुधार आंदोलन है, और अधिक से अधिक यह कानून के लिए आधार तैयार कर रहा है। लेकिन जो लोग इसकी गहराई में गये हैं, उनके लिए यह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण आंदोलन है। यह एक सर्वव्यापी सामाजिक तथा मानवीय क्रांति का आरम्भ है—मानवीय भी; क्योंकि इसका उद्देश्य मनुष्य को समाज के साथ बदलना है। महात्मा गांधी की क्रांति की अहिंसक पद्धति का यह व्यापक रूप में प्रयोग है। प्यारेलालजी के शब्दों में : “यह एक अहिंसक

क्रांति का व्यूह भेद करने वाला अग्र चरण है और उसके परिणाम बहुत व्यापक होंगे।”

परिवर्तन की कार्य-प्रणाली

जैसा कि सुविदित है, गांधीजी की प्रणाली मत-परिवर्तन की प्रणाली थी। वह एक नयी सभ्यता के निर्माण के लिए न केवल हिंसा से दूर रहना चाहते थे, किन्तु वह कानून पर एक प्रारम्भिक साधन के रूप में भरोसा भी नहीं करना चाहते थे। आगाखां महल में उन्होंने प्यारेलालजी से कहा था :

“जब तक हमारे हाथों में सत्ता नहीं, तब तक आवश्यकता के कारण हम विचार-परिवर्तन के साधन को अपनायेंगे। लेकिन मैं इस बात पर कायम हूँ कि सत्ता-प्राप्ति के बाद हम अपनी स्वेच्छा से इस साधन को अपनायेंगे। कानून से मत-परिवर्तन, यह क्रम हो।” समझाना-बुझाना, हृदय तथा दिमाग का परिवर्तन, नये सामाजिक मूल्यों का निर्माण एवं उनके अनुकूल वातावरण, और जहां समझाना-बुझाना अपर्याप्त सिद्ध हो, वहां अन्याय के साथ असहयोग—ये गांधीजी के हथियार थे। इनके द्विविध प्रयोजन सिद्ध हुए। एक तो उन्होंने समाज को बदला और दूसरे व्यक्ति को। कानून से पहला काम हो सकता है, लेकिन दूसरा नहीं। उसने किसी दिल या दिमाग को नहीं बदला है और कोई व्यक्ति जोर-जबरदस्ती से गुणवान नहीं बना है। गांधीजी की मत-परिवर्तन प्रणाली इस विश्वास पर आधारित थी कि मनुष्य को सुधारा जा सकता है। यह विश्वास स्वयं एक अन्य विश्वास पर आधारित थी कि मनुष्य को सुधारा जा सकता है। यह विश्वास स्वयं एक अन्य विश्वास पर खड़ा था और उसके अनुसार सब व्यक्ति, चाहे उनकी बाह्य विभिन्नताएं कुछ ही हो, मूलतः एक ही हैं और ये वस्तुतः अच्छे हैं। क्या वे सब मानव “ईश्वर के उसी तेजोमय और दिव्य लोग से नहीं आये हैं, जो कि हमारा परम निधान है?”

यह कौन कह सकता है कि वर्तमान समाज को सुधारने के लिए गांधीजी अपनी प्रणाली का किस प्रकार उपयोग करते? लेकिन जैसा कि प्यारेलालजी ने कहा है :

“गांधीजी के विचार ने आज पुनः जन्म लिया है। विनोबाजी कौतुकजनक सफलता के साथ उसका अनुवर्तन कर रहे हैं। आज हम जो कुछ देख रहे हैं, वह उक्त मूलगामी सामाजिक जागृति का प्रारम्भ है, जिसकी चर्चा एक असंदिग्ध भविष्य-वक्ता की भाँति बापू किया करते थे।...”

इस प्रकार भूदान यज्ञ व्यापक रूप से मत-परिवर्तन और विचारों में नया वातावरण तथा जीवन के नये मूल्य के निर्माण का जन आंदोलन है। इससे विचारों के तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण में एक नया वातावरण उत्पन्न होता है। यह मनुष्यों के दिमागों तथा उनके पारस्परिक संबंधों में एक जीवित तथा त्वरित क्रांति करता है और प्रति क्षण शोषण तथा असमानता की प्रणाली पर प्रहार करता है और उसे ठीक करता है। यह मनुष्यों को सिखाता है कि उनके पास जो कुछ है, उसमें वे अपने भाइयों को, दूसरे लोगों को भी भागीदार बनायें।

भूदान द्वारा क्रांति

यह क्रांतिकारी प्रक्रिया कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य किसी क्षेत्र में भी प्रारम्भ की जा सकती थी। लेकिन इस क्षेत्र को पहले चुना गया, क्योंकि (क) भूमि उत्पादन का मूलभूत साधन है; (ख) भूमि की समस्या सबसे पहले हल होनी चाहिए तथा (ग) इसके साथ हमारी देहाती जनता का सीधा संबंध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूमि के माध्यम द्वारा हम किसी अन्य सम्पत्ति के माध्यम की अपेक्षा अधिक आसानी से नये आर्थिक विचारों तथा सामाजिक सदाचार का प्रसार कर सकते हैं। भूदान भूमि के संबंध में जो कुछ कहता है, वह गांधीजी के सिद्धांतानुसार हमारी सब सम्पत्तियों पर, जिनमें कि ज्ञान तथा कौशल

भी सम्मिलित हैं, लागू होता है। सब सम्पत्ति एक सामाजिक उत्पादित वस्तु है और सामाजिक सहयोग के बिना कोई उपार्जन सम्भव नहीं। अतएव हमारे पास जो कुछ है, वह समाज का है। हमारे पास जो कुछ है, उसके ‘धातीदार’ (ट्रस्टी) होने के सिवा हम और कुछ नहीं। यह स्पष्ट है कि समाज ने हम पर अव्यक्त रूप से यह भार सौंपा है कि हम अपने ट्रस्ट की भालीभांति रखवाली करें और हम इसे अपने लाभ के लिए नहीं, किन्तु सब लोगों के फायदे के लिए काम में लायें। यद्यपि कृषि के संबंध में यह विचार कि भूमि प्रकृति की देन है और वह समुदाय की है, जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है; किन्तु व्यापारिक, औद्योगिक या धंधे के क्षेत्र में इसी तरह का विचार सुगमतापूर्वक स्वीकार नहीं किया जायेगा। लेकिन जब कि भूदान हमारे पांच लाख गांवों में इस विचार के बीज बो देगा और लाखों भू स्वामियों को इसे व्यावहारिक रूप में स्वीकार करने के लिए राजी कर लेगा, भले ही वह आंशिक रूप में हो—इस विचार की जड़ जमाने तथा दूसरे क्षेत्रों में भी विकास करने के लिए अनुकूल मनोवैनिक वातावरण तैयार होगा। वास्तव में भूदान काफी प्रगति कर चुका है और इसीलिए बोधगया में सर्वोदय-सम्मेलन ने सम्पत्तिदान पर भी समान रूप से ध्यान देने का संकल्प किया।

भूदान : नदी, रचनात्मक कार्य : नौकाएं

इस आर्थिक क्रांति की प्रभात वेला में पुनर्निर्माण कार्य को हाथ में लेना होगा। खादी, ग्रामोद्योग आदि के रूप में बहुत-से रचनात्मक कार्य हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान सामाजिक स्थिति में इन प्रवृत्तियों के कारण कोई गड़बड़ी पैदा नहीं होती। उदाहरणार्थ किसी गांव में भले ही खादी का कार्य एक या दो दशाब्दियों से हो रहा होगा। किन्तु फिर भी उसका ग्राम-समाज के ढांचे पर रक्ती भर भी

असर नहीं हुआ होगा। इस प्रकार का रचनात्मक कार्य एक फलहीन कार्य है, या अधिक से अधिक उसे कष्ट-निवारण का काम कह सकते हैं। गांधीजी की रचनात्मक कार्य की कल्पना ऐसी न थी। वे प्रधानतः एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने स्वयं लिखा है :

“कुछ ने मुझे अपने जमाने का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कहा है। यह बात गलत हो सकती है, लेकिन मैं अपने को एक क्रांतिकारी—एक अहिंसक क्रांतिकारी मानता हूं।” यह विनोबा की प्रतिभा है, जिसने कि उस क्रांतिकारी मार्ग को खोजा है।

कितने ही रचनात्मक कार्यकर्ता अब भी यह समझते हैं कि भूदान का कार्य फुरसत मिलने पर या अन्य रचनात्मक कार्यों के साथ-साथ किया जा सकता है। लेकिन एक गांधीनिष्ठ के लिए अर्थात् एक अहिंसक क्रांतिकारी के लिए, भूदान अन्य कई रचनात्मक कार्यों में से एक कार्य नहीं है। यह तो उनका अधिष्ठान ही है। भूदान के संदर्भ में कोई रचनात्मक कार्य वास्तविक रूप से एक निर्माणकारी कार्य बन जाता है, किन्तु उसके अभाव में वह कार्य निर्जीव चेष्टा मात्र बन जाता है। भूदान एक बहती हुई नदी के समान है और रचनात्मक कार्य नौकाएं हैं। बिना बहते हुए पानी के, नावें कीचड़ में फंसी हुई जहां की तहां रह जाती हैं। लेकिन सरिता उन्हें गति तथा जीवन प्रदान करती है और तब वे यात्रियों को उनके गंतव्य स्थानों को ले जाती हैं।

राजनीतिज्ञों का रुख

जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, कई रचनात्मक कार्यकर्ता भूदान को बहुत-से संभाव्य कार्यों में से एक मानते हैं। अधिकांश राजनीतिज्ञ भी भूदान के प्रति अपनी उदारता दर्शाते हुए कहते हैं कि इसका उद्देश्य अच्छा है और उपयुक्त समय पर इससे कानून द्वारा उस उद्देश्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी। वे सुविधानुसार अपना सहयोग तथा अपने

पेट भर खाओ, पर पेटी भर मत रखो

—विनोबा (शिवत्रगुड़म्, तेलंगाना 22.4.1951)

मैं कहता हूं कि यह जो दान मैं मांग रहा हूं—गरीबों की ओर से, उसमें न सिर्फ गरीबों का ही बचाव है, बल्कि श्रीमानों का भी बचाव है। “दानं भोगो नाशः”—पैसे के लिए, सम्पत्ति के लिए ये तीन मार्ग हैं। या तो आप खाओ, भोगो या दान दो, या नाश हो जायेगा। किसी के पास पांच सौ एकड़ जमीन है, किसी के पास हजार है, किसी के पास दो हजार। अगर वह अब भोग भोगना चाहे, खाना चाहे तो क्या वह पांच हजार-दो हजार की जमीन खा लेगा? तो इतना तो वह खा नहीं सकता। चाहे उसका पेट कितना ही बड़ा हो, उसमें चार हजार एकड़ जमीन की फसल जा ही नहीं सकती। चाहे 10-12 लोग हों तो कुल मिलाकर भी 4 हजार एकड़ जमीन की फसल हजम नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं कि जितना खा सकते हो उतना जरूर खाना, लेकिन पेट भर खाना, पेटी भरकर रखने की आशा न रखना, क्योंकि बाकी का जो रख लोगे, उस पर मेरा हक होगा, या तो कम्युनिस्टों का या डाका मारने वालों का होगा। तो समझ लो, यह भर्तुहरि का वाक्य है कि “दानं भोगो नाशः गतयो भवन्ति वित्तस्य।” आपके पास धन की तीन ही गतियां हैं। जो जितना खुद खा सकते हो उतना खाओ, जितना मुझे दे सकते हो उतना मुझे दो और जिस पर आप कुछ बचाकर रखोगे तो डाका डालने वाले ले जायेंगे। पैसे के चौथा प्रकार नहीं हो सकता।

मेरी मां मुझे बचपन में कहती थी, यदि कोई मांगने के आया तो जरा भी विचार नहीं करना, दे ही डालना।’ वह कहती थी कि ‘जो देते हैं वे देव बनते हैं और जो रख लेते हैं वे राक्षस बनते हैं। देने वाले देव और रखने वाले राक्षस! और यही बात सब संतों ने हमको समझाई है। उन्होंने हमको यह समझाया कि देते जाओ तो मिलते जायेगा। मेघ बारिश देता है, तो समुद्र से उसको फिर वापस मिल जाता है। समुद्र मेघ को देता है और मेघ समुद्र को देता है, इस तरह एक-दूसरे को देते रहते हैं तो सारी सृष्टि अच्छी चलती है।

अधिक महत्वपूर्ण कार्य से जो समय बच सके, उसे देने का वचन देते हैं। वे अपने मन में यह विश्वास किये बैठे हैं कि अंत में उनसे ही यह काम हो सकेगा! क्योंकि सरकार के सिवा और किस प्रकार से इतने व्यापक सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन हो सकते हैं, यह आम तौर पर राजनीतिज्ञों का रुख है, चाहे वास्तव में शासन-सूत्र उनके हाथों में हो या वे उसके आकांक्षी हों। राज्य तथा राजनीतिज्ञ जो सहायता दे सकते हैं, उसके लिए भूदान आंदोलन कृतज्ञ है, बशर्ते कि वह सही ढंग की सहायता हो। लेकिन वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य के प्रयोग पर निर्भर नहीं करता। वह तो दंड-शक्ति के बजाय जन-शक्ति पर निर्भर करता है। हमें गांधीजी के शब्दों का पुनः स्मरण करना

चाहिए : “सत्ता-प्राप्ति के बाद भी विचार-परिवर्तन का अस्त्र हमारी अपनी इच्छा से अपनाया हुआ होगा।”

इसलिए विनोबाजी जनता के पुरुषार्थ पर इतना जोर दे रहे हैं। क्रांति चाहे हिंसक हो या अहिंसक, वह जनता द्वारा ही होती है, न कि सरकारों द्वारा। सरकारों तो जनता का अनुकरण करती हैं और जनता जो कुछ कर चुकती है, उस पर अपनी मुहर लगाती है। गांधीजी ने तो कहा ही है कि विचार-परिवर्तन की गैल में ही कानून आता है। यही कारण है कि विनोबाजी अन्य कई लोगों की भाँति कानून बनाने के लिए चीख-पुकार नहीं कर रहे हैं। वे जानते हैं कि जनता की कार्रवाई के बाद कानून अवश्यंभावी है, चाहे कोई भी दल सत्तारूढ़ हो। ...क्रमशः अगले अंक में

उत्तर प्रदेश का प्रथम भूदान मंगरौठ

□ अक्षयकुमार करण



“सबै भूमि गोपाल की” के सिद्धांत को मानकर हमीरपुर जिले के प्राणवान कार्यकर्ता दीवान शत्रुघ्नसिंहजी की प्रेरणा से मंगरौठ ग्रामवासियों ने अपनी सारी जमीन भूदान यज्ञ में अर्पण की। 21 मई, 1952 को दीवान शत्रुघ्नसिंहजी ने सभी दान-पत्र पू. विनोबा को अर्पण किये। उसके बाद करीब-करीब सालभर तक हम लोग उस गांव के लिए कोई योजना नहीं कर सके। व्यवस्थित ढंग से कार्य मार्च 1953 से प्रारम्भ हुआ। अनेक उतार-चढ़ावों के बाद गांव वालों ने मोटी-मोटी मुख्य तीन बातें तय कीं :

1. सभी बालिग लोगों के मत से पंद्रह सदस्यों का एक मंडल हो, जो विनोबाजी के मार्गदर्शन में सर्वोदय-विचार के आधार से ग्राम-रचना का काम करे।

2. जमीन की मालकियत किसी भी व्यक्ति की न रहकर, सर्वोदय मंडल की रहे।

3. सुविधा के अनुसार लोग व्यक्तिगत तथा मिल-जुलकर पारिवारिक रूप से खेती करें।

प्रदेशवासियों से अपील

भूदान का कोटा पूरा करें

□ गोविन्द वल्लभ पंत (मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश)

संत विनोबा के भूदान-यज्ञ आंदोलन से उत्तर प्रदेश की जनता भलीभांति परिचित है। प्रदेश के गांव-गांव में कई महीनों तक घूमकर उन्होंने जनता में एक नयी भावना जगायी, उसे एक नयी प्रेरणा दी। गांवों के भूमिहीन लोगों को बिना किसी संघर्ष और खींचातानी के अपनी आवश्यकता के अनुसार भूमि का अधिकार मिल जाय, यही विनोबाजी के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। वे ऊँच-नीच की भावना मिटाकर भाईचारे के आधार पर गांव-समाज को नया स्वरूप और प्रतिष्ठा देना चाहते हैं, जिससे नैतिकता को बल मिले और सभी लोग सम्मानपूर्वक पुरुषार्थ के अनुसार पूरी तरह से उद्योग कर सकें।

भूदान-यज्ञ के अनुष्ठान में विनोबाजी हमारे प्रदेश से पहली किश्त के रूप में पांच लाख एकड़ भूमि का दान चाहते हैं। वैसे तो वे इस पुण्य कार्य में समूचे देश से पांच करोड़ एकड़ और उत्तर प्रदेश से एक करोड़ एकड़ भूमि का दान मांगते हैं। परंतु अभी अपनी उदार परम्परा के अनुसार भूदान के काम में प्रसन्नतापूर्वक सहयोग दिया है। अब तक सवा तीन लाख एकड़ के लगभग भूमि दान में मिल चुकी है। इसके अलावा हजारों रुपये के बीज, कुएं और नलकूप, बैलों की जोड़ियां और खेतों में काम करने के श्रमदान भी विनोबाजी को मिल चुका है, मुआवजा भी मिला है और कुछ रुपयों का सम्पत्ति-दान भी मिला है। परंतु पांच लाख एकड़ भूमि दान की पहली किश्त अब तक पूरी नहीं हो पायी है। लगभग पैने दो लाख एकड़ की कमी अब बाकी है।

प्रदेश की सरकार ने भूदान के काम को नियमिति और व्यवस्थित बनाने तथा कानूनी बाधाएं दूर करने के लिए भूदान-यज्ञ बिल स्वीकृत कर लिया है और शीघ्र ही कानून के रूप में वह लागू होने वाला है। इससे भूदान के काम को और भी बल तथा प्रगति मिलेगी। भूदान-यज्ञ के अंतर्गत जो भूमि हस्तांतरित होगी, वे इस नये कानून के लागू होने पर स्टाम्प और रजिस्ट्री के खर्च से बरी होगी।

मुझे आशा है कि हमारे प्रदेश की जनता विनोबाजी की पांच लाख एकड़ भूमि-दान की मांग और भी लगन तथा तत्परता के साथ शीघ्र ही पूरा कर देगी और हमारा गांव-समाज एक व्यापक कुटुम्ब की भावना के साथ अपनी उन्नति के कामों में अग्रसर होगा।

(लखनऊ, 28 जनवरी, 1953)

इसी आधार पर मई, 1953 में पंद्रह सदस्यों को सर्वसम्मति से गांव वालों ने चुना। आज यही मंडल सारे ‘ग्राम-व्यवस्था’ का काम कर रहा है। हमारी ओर से श्री लक्ष्मेंद्र प्रकाशभाई तथा गोपालराव ठड्डे, अप्रैल 1953 से वहां हैं। अभी चार माह हुए, एक भाई और गये हैं। प्रकाशभाई गांधी आश्रम, सेवापुरी के कार्यकर्ता रहे हैं। नयी तालीम में शिक्षक का काम करते थे। इन्होंने इतने दिनों में गांव वालों का विश्वास प्राप्त कर लिया है।

उनमें घुलमिल गये हैं।

हमने शुरू से यह ध्यान दिया है कि गांव के लोग ही अपनी समस्या समझ कर इस पर निर्णय करते जायें। उनकी प्रेरणा ही उनका नेतृत्व हो और उनकी ही जिम्मेवारी हो। साधन भी गांव के होते तो अच्छा होता। पर आज की परिस्थिति में गांव के साधनों पर ही निर्भर रहना कठिन समझ कर साधन की सहायता बाहर से भी ले सकते हैं, ऐसी सीमा बांधी गयी।

मंगरौठ में एक सौ छह परिवार हैं। कुल जमीन का रकबा, जो सर्वोदय मंडल के अधिकार में है, अड़तीस सौ पचास एकड़ है। इसमें से जितनी जमीन पर खेती होती थी, उसका रकबा आठ सौ एकड़ है। बुदेलखण्ड का यह इलाका है। बीहड़ से भरा। पानी का स्तर 80 फुट नीचे है। इसलिए खेती के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। खेत में जितनी पैदावार होती है, वह आठ मास के लिए ही होती है। चार माह का अनाज गांव के बाहर से लाना पड़ता है। अधिकतर किसान कर्ज लेकर काम चलाते हैं।

चरखे छुटपुट चलते हैं। दो बुनकर परिवार हैं। चमड़े का उद्योग हरिजनों में प्रमुख उद्योग है। पर परिस्थितिवश वह अभी पूँजी के अभाव में बिखरा हुआ है। अभी व्यवस्थित रूप से वह शुरू नहीं हुआ है, पर 12 फरवरी से वस्त्र-स्वावलंबन का प्रारम्भ किया है। अगले वर्ष की योजना में पूर्ण वस्त्र-स्वावलंबन एक मुख्य कार्यक्रम है।

मई, 1953 में सर्वोदय मंडल ने खेती की एक व्यवस्था सोची। एक सौ छह परिवारों में से परिवार की स्थिति और पूर्व जीवन की आवश्यकता देखकर, एक सौ तीन परिवारों में जमीन बांटी गयी है। तीन परिवारों ने (एक दर्जी, एक चूड़ीहार और एक बहन) जमीन नहीं ली। बतीस परिवार सम्मिलित परिवार में शामिल हुए हैं, शेष व्यक्तिगत खेती हैं। इस वर्ष सर्वोदय-मंडल ने अपनी शक्ति खेती में ही लगायी है। सर्वोदय मंडल का प्रयास है कि अन्न के बारे में गांव स्वावलंबी हो। जून मास में वर्षा होते ही गांव वालों ने अस्सी एकड़ बीहड़ जमीन तोड़ कर खेती के लायक बनाने का प्रयास किया है। यह पूरी तरह नहीं बन पाया है, पर खरीफ की फसल बोयी गयी है। खरीफ की फसल साधारण तरह से इस वर्ष अच्छी हुई है। रबी की फसल भी गांव वालों ने बोयी और समय से वर्षा भी हो गयी है।

रबी की फसल अब अच्छी है। रबी की फसल पूरी हो जाने के बाद ही यह तय हो पायेगा कि अन्न के उत्पादन में हम कहां तक आगे बढ़े हैं? सम्मिलित परिवार बनाने का दीवान शत्रुघ्नसिंहजी का प्रयास है। उनकी यह कल्पना है और गांव वालों का विश्वास भी उन्होंने प्राप्त कर लिया है।

पशुधन गांव वालों का अच्छा है, नस्ल अच्छी है। चारे का अभाव रहता है। सर्वोदय मंडल का अपना जंगल है। इस वर्ष उस जंगल की रक्षा का प्रबंध किया है। अगली वर्ष होने पर ही उसकी ठीक-ठीक व्यवस्था हो पायेगी।

भेड़ और बकरियां भी गांव में हैं। उनका उद्योग गांव में चल सकता है। पहले चलता भी रहा, पर पंद्रह साल से बंद है। गांव के लोग कंबल बनाना जानते हैं। यह भी उद्योग चल सकता है। यह अगले साल हम कर सकें, ऐसा हमारा प्रयत्न है।

चमड़े का उद्योग गांव का बहुत पुराना और व्यवस्थित उद्योग रहा है। इकीस परिवार यहां काम करते हैं। इधर समय के फेर से उनका काम बहुत कम हो गया है। केवल सात परिवार इसी प्रकार काम पर लगे थे। सर्वोदय मंडल ने कुछ रुपया इस काम में लगाकर इसे भी बढ़ाने का प्रयास किया है।

यहां गांव में पहले कोई शाला नहीं थी। गांव में अनपढ़ तो कम हैं, पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। जिला बोर्ड ने एक शाला चलाने की स्वीकृति दी है। अभी गत जुलाई माह से चल भी रही है। पर गांव वालों का निर्णय बुनियादी शाला चलाने का ही है।

अब गांव वालों के सामने अपना काम करते-करते कुछ नक्शा आ गया है। पहला काम उन्होंने यह किया कि अन्न स्वावलंबन के काम में जी-जान से जुट जायं। दूसरा काम वस्त्र-स्वावलंबन का। चमड़े का उद्योग भी धीरे-धीरे बढ़ाने का सोचा है। साथ ही उन का उद्योग भी। तिल्ली की पैदावार गांव में

काफी होती है, इसलिए एक घानी भी चलाना चाहते हैं।

इसके अलावा अभी जयप्रकाश बाबू तीन दिसंबर को मंगरौठ गये थे, तो उन्होंने एक पुलिया 'जयपथ', बुनियादी शाला भवन (प्रकाश मंदिर) और पंचायत-घर के रूप में 'नारायण-घर' की नींव डाली थी। जयपथ बनकर तैयार है। एक स्त्री की नकद मजदूरी और सीमेंट के अलावा बाकी सारा काम गांव वालों ने श्रम से ही किया। अब सभी 'नारायण-घर' बनाने में जुटे हैं। बच्चे स्वेच्छा से काम करते हैं। दीवान साहब का परिवार भी ठेठ मजदूर की तरह अपना काम करता है। आज गांव एक है, मत एक है। सब की प्रेरणा से सारा गांव बने, सबकी तरक्की हो, यही भावना है। □

अगले अंक में पढ़ें

- लोकनायक जयप्रकाश का गया में जीवन-दान।
- मजदूर दिवस (1 मई) पर 1974 आंदोलन के बाद छात्र युवा संघर्ष वाहिनी द्वारा किसानों-मजदूरों के लिए गया में भूमि के सवाल पर संघर्ष का दस्तावेज-मजदूर, धरती और औरत।
- भूदान, ग्रामदान और भूमि अधिग्रहण।
- भारतीय किसान, समाज व अध्यादेश।
- फिर भी महिलाएं किसान का दर्जा नहीं पा सकीं क्यों?

कृपया अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत करायेंगे तो प्रसन्नता होगी। -कार्य. सं.

वामन के तीन चरण

□ पूर्णचंद जैन

सर्व सेवा संघ के मंत्री, श्री शंकराव देव की चौंतीस दिन की भूदान संबंधी पदयात्रा अजमेर-मेरवाड़ा व राजस्थान, इन तीन क्षेत्रों तक ही सीमित रही, किन्तु न सिर्फ इन क्षेत्रों के, बल्कि पूरे राजस्थान और अजमेर-मेरवाड़ा, दोनों राज्यों के रचनात्मक कार्यकर्तागण अनुभव करते हैं कि उससे भूदान आंदोलन को बल व प्रेरणा तथा नयी विकेन्द्रित समाज व्यवस्था के संबंध में एक व्यापक दृष्टि मिली है। श्री देव का अरसे से उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षित यह दौरा तारीख 16 दिसंबर 1952 को प्रारम्भ होकर 18 जनवरी 1953 को पूरा हुआ और उसमें श्री देव 329 मील चले। 47 गांवों या कस्बों में से प्रत्येक में एक से तीन तक सभा-समारोहों में भाषण-प्रवचन दिये और प्रश्नोत्तर के रूप में चर्चादि की। श्री देव के इस दौरे के तीन चरण थे : 1. भीलवाड़ा जिला, 2. अजमेर राज्य और 3. पाली जिला। लेकिन बौने भगवान के तीन पैरों की भाँति इनसे जागृति और नवचेतना की लहर व सनसनी राजस्थान व अजमेर, दोनों राज्यों में चारों ओर फैल गयी थी।

भूदान : महान् क्रांति का बीज

पू. विनोबाजी ने भूदान के नये क्रांतिकारी विचार को जन्म दिया, उस समय अनेक अच्छे विचारशील कार्यकर्ताओं में भी इस विचार व आंदोलन के संबंध में जो शंकाएं थीं, वैसी शंकाएं राजस्थान के कई कार्यकर्ताओं में भी अभी कल तक बनी हुई थीं। किन्तु इस यात्रा ने उन शंकाओं के निराकरण में बड़ा काम किया।

श्री देव के दृढ़ता से प्रकट किये गये हृदयग्राही और तर्कपूर्ण प्रवचनों से कई शंकाओं का सुंदर समाधान हुआ है तथा लोग अनुभव करने लगे हैं कि इस आंदोलन के बीज में महान् क्रांति का वृक्ष छिपा है। सभी लोगों की और कार्यकर्ताओं की शंकाएं मिट गयी हैं। भूदान आंदोलन के पीछे जो विचार और नये समाज का स्वरूप छिपा है, उसे सब समझ गये हैं, यह कहना तो ज्यादा होगा; लेकिन यह निर्विवाद है कि इस यात्रा के फलस्वरूप यह आंदोलन लोगों के समझ में आने लगा और अहिंसक क्रांति की प्रेरणा देने लगा है।

श्री देव के गीता आदि ग्रंथों के सूक्ष्म अध्ययन, समाज व्यवस्था-विषयक गहन ज्ञान तथा राजनैतिक व सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्यक्ष अनुभव आदि के कारण उनके प्रवचन व

प्रवेश। चौथे, कार्यकर्ताओं में स्वयं में सर्वोदय विचारधारा व उसके कार्यक्रम के प्रति दृढ़ निष्ठा और तदनुकूल उनका सक्रिय आचरण, व्यापक जन-संपर्क तथा जनता में क्रांति बीजारोपण।

शेष भूमि या सम्पत्ति का आश्वासन

श्री देव के भाषणों और प्रवचनों को उत्तर भारत के, विशेषतः हिन्दी पत्रों में अच्छा प्रकाशन मिला, जो अपेक्षित और उचित भी था। इसलिए उन प्रसंगों को उद्धृत करना या उनकी चर्चा करना अनावश्यक होगा। लेकिन कुछ मुद्रों पर उन्होंने जो स्पष्ट वक्तव्य दिये, वे अपने महत्त्व के कारण यहां दुहरा भी दिये जायं, तो असंगत नहीं होगा। उदाहरणतः एक जगह काफी परिणाम में, उमंग और भावना से अच्छी बढ़िया उपज की जमीन देने वाले एक भूतपूर्व रियासत के अधिपति ने पूछा कि वे

वामन अवतार

'वामन अवतार' व्यक्तिगत भाषा नहीं है। भूदा-यज्ञ का वर्णन वह है। भूदान-यज्ञ वामन के जैसा छोटा रूप है लेकिन वामन जैसे विराट बना, वैसे इसमें अहिंसक क्रांति निर्माण होने वाली है। वामन भिक्षा मांगता है ऐसा लगा, पर उसने बालि को दीक्षा ही दी। यह सारा रूपक समझ लेना है। जिस तरह के उल्लेख तो मैं टाल नहीं सकता क्योंकि मैं और हमारा समाज दोनों उस संस्कार में भीद गये हैं। सिर्फ वामन-अवतार का ही मैं उल्लेख करता हूं, ऐसा नहीं। प्रजासूत्र-यज्ञ, भूदान का अश्व, नया धर्म-चक्र-प्रवर्तन ये कुछ छोटे दावे नहीं हैं। लेकिन यह सब आपलोगों के मदद के भरोसे किये गये हैं। यही मुझे आपको सिखाना है। 'मुझे' में जो 'मैं' है, वह व्यक्तिगत 'मैं' नहीं है। वह सारे सर्वोदय-समाज के अंदर मैं लेकर बात करने वाली भाषा है।

-विनोबा

चर्चा के विषय विविधतापूर्ण रहे तथा उनमें अनेक समस्याओं पर प्रकाश पड़ा, किन्तु अधिकतर यह विवेचन स्वाभाविक रूप से तीन-चार मुख्य विषयों में केन्द्रित रहता था। एक भूमि-दान और भू-समस्या का हल, जिसमें सम्पत्ति दान व सम्पत्ति के विभाजन की बात भी सन्तुष्टि है। दूसरे, गांवों में जीवन का नव संचार अर्थात् ग्रामोद्योगों का उत्थान और तदर्थ अन्न-वस्त्र आदि मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केन्द्रित उद्योगों का बहिष्कार। तीसरे, विद्यार्थियों, वकील, अध्यापक आदि बुद्धिवादी वर्ग में श्रम की प्रतिष्ठा और सर्वोदय विचारधारा का

लोग इतनी-इतनी जमीन दे रहे हैं। अब जो शेष उनके पास रह गयी, वह तो सुरक्षित मानी जायेगी और वे उसी का आश्वासन देते हैं न? उस बात का उल्लेख करते हुए श्री देव ने अपने भाषण में यों जवाब दिया कि वे तो भूमिपतियों और सम्पत्ति वालों को यही कह सकते हैं कि उन्हें सब कुछ देना होगा, और जब वे सब कुछ दे देंगे तभी वे वास्तव में अभय व सुरक्षित होंगे। श्री देव ने यहां तक स्पष्ट कहा कि वे तो उन्हें यह आश्वासन दे सकते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। भारत की संस्कृति और परमपरा ही यह है कि सब कुछ दे दोगे, तो सब कुछ मिलेगा।

हर एक अपना हर्विर्भाग दें

श्री देव ने जगह-जगह स्पष्ट किया कि छोटे-बड़े, हजारों एकड़ और एक बीघा, आधा बीघा के मालिक, हर जागीरदार, किसान, भू-स्वामी को इस यज्ञ में अपना हर्विर्भाग भाग देना चाहिए। अच्छे-अच्छे कार्यकर्ता इस बात से चौंकते हैं कि जिनके पास दस-पांच बीघा ही जमीन है, उनसे जमीन क्यों मांगी जावे और वे क्यों दें? इसी के साथ प्रति परिवार जमीन का परिणाम क्या हो, ताकि वह आर्थिक दृष्टि से संतुलित इकाई मानी जा सके, इत्यादि सवाल भी वे छेड़ देते हैं। इन सबको श्री देव का उचित जवाब यह था कि आज लोगों में देने की, विसर्जन की वृत्ति तथा यह भावना जागृत करनी है कि उत्पादन के साधन वास्तव में समाज के हैं। वे व्यक्ति के अधिकार में चले गये हैं, अतः अब उन्हें समाज को अपर्णि कर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में यह भी उचित तर्क था कि यदि थोड़ी जमीन वाला भी अपनी बीघादों बीघा जमीन में से एक आध बीघा जमीन देता है, या सब कुछ दे देता है, तो वह अधिक भूमि के मालिकों से व दूसरों से ज्यादा अधिकार व आत्म-बल के साथ मांग सकता है तथा उन्हें सर्वस्व अपर्ण के लिए प्रेरित कर सकता है। वास्तव में जो कल्पना श्री देव ने बतायी और जिस पर उन्होंने बार-बार जोर दिया कि गांव की सारी जमीन अलग-अलग लोगों की न होकर गांव वालों की होनी चाहिए व उस जमीन को सब गांव वालों के खाने, पहनने, पशुओं को चराने आदि के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की दृष्टि से काश्त व चारागाह आदि में उपयोग में लायी जानी चाहिए—यह कल्पना व योजना अगर कार्यान्वित होगी तो समाज में कुछ की खुशहाली और कुछ की बेरोजगारी तथा भुखमरी की विषमता सदा के लिए विदा हो सकती है। लेकिन इस आदर्श की व्यवस्था तक पहुंचने के लिए अहिंसक क्रांति और परिवर्तन के स्वरूप में व्यक्तिगत सम्पत्ति व

भूमि की कुछ मर्यादा तय करने, सहकारी पद्धति पर कुछ समय तक काम करने, आदि का मध्यम मार्ग ही ग्रहण करना पड़ेगा।

'दान' और 'भेंट' का फर्क

'दान' और 'भेंट' के फर्क को एक चतुर दाता ने जिस प्रकार प्रकट किया, उसकी चर्चा श्री देव ने कई जगह की। वह सूक्ष्म होने के ही साथ परिस्थितियों का एक नग्न और कटु चित्र अवश्य प्रस्तुत करती है। एक सम्पत्तिशाली ने सौ-सवा-सौ बीघा जमीन का प्रयोग किया और स्पष्ट भी किया कि दान तो वहाँ ही मानना चाहिए, जहाँ व्यक्ति वास्तव में अपने स्वार्थ में कमी करके कुछ देता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिया है उतना या उससे अधिक तो वे सूरज डूबते-डूबते फिर से प्राप्त कर लेने वाले हैं। कुछ भी उन्होंने खोया या त्याग नहीं किया है, इसलिए यह 'दान' नहीं, 'भेंट' है। स्पष्ट है कि दान का पू. विनोबाजी ने पूर्वाचार्यों का जो 'सम-विभाजन' का अर्थ बताया अथवा अपने निजी स्वार्थ में से कुछ त्याग व समर्पण हो, यह भी अर्थ माना जाय, तो दान देने वाले को अभिमान और दाता की वस्तु पाने वाले को हीनता का अनुभव ही न हो।

भारतीय विधान और बे-रोजगारी

हमारे राष्ट्र के कर्णधार और नेता समाज के लिए जो बातें वास्तव में हितकर हैं, उसे किसी कमजोरी या अन्य कारणों से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका श्री देव ने एक अच्छा उदाहरण दिया। इस प्रसंग को कहते हुए श्री देव ने मानो अपनी कमजोरी भी मंजूर की, क्योंकि वह भारत के स्वीकृत विधान से संबंधित था, जिसके निर्माण और स्वीकार करने में तत्कालीन विधान-सभा के सदस्य के नाते श्री देव का भी हाथ था। वह प्रसंग था विधान में व्यक्तिगत सम्पत्ति के मानने व सम्पत्ति का कोई अंश सार्वजनिक कार्य के लिए हस्तगत किया जावे, तो उसका मुआवजा देने की धारा को भूल-भूत सिद्धांतों (Fundamental Rights) में स्वीकार किये

जाने का और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात का एक निर्देशात्मक रूप (Directive Principles) में स्वीकार किये जाने का। श्री देव ने ठीक कहा कि जब तक व्यक्तिगत सम्पत्ति की मर्यादा स्थिर नहीं होती, अधिक सम्पत्ति का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकार को मान्य किया जाता है और दिलो-दिमाग से स्वस्थ व्यक्ति को रोजगार देने का दायित्व राष्ट्र या समाज स्वीकार नहीं करता, तब तक विषमता का मिटना, सबका पेट भरना और सुखी व सन्तुष्ट होना सम्भव नहीं हो सकता।

विषमता मिटाने की तड़प

जो कार्यकर्ता थोड़े या पूरे दिन श्री देव के साथ यात्रा में रहे, उन्हें असाधारण तेजी से पैदल चलने के अभ्यास और दिलचस्प अनुभव के साथ व्यवस्थित जीवन, सादगी, किन्तु सुरुचि, स्वाध्याय, समय की पाबन्दी, बात की तह में जाने की वृत्ति व क्षमता का श्री देव में एक असाधारण उदाहरण मिला होगा। श्री देव की चाल इतनी तेज रहती थी कि एक-दो साथियों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति बिना दौड़े उनके साथ टिक नहीं सकता था। पाँवों की इस तेज रफ्तार की भाँति श्री देव का दिमाग भी सम्भवतः साधारण मानव-मस्तिष्क से अधिक तेज चलता रहता था। समाज में फैली बे-रोजगारी, भुखमरी और विषमता के खिलाफ मानो उनके दिल में आग जलती थी और उसको मिटाने के लिए आरम्भ किये गये भू-दान आंदोलन के निमित्त हर जगह कार्यकर्ता, जनता, जागीरदार आदि वर्ग और सारे समाज में एक अदम्य वेग तथा न मिटने वाली तड़प वे चाहते थे। आम सभा में तो नहीं, किन्तु कार्यकर्ताओं के बातचीत में उन्होंने कई बार इस बात पर वेदना प्रकट की कि आजादी की लड़ाई के लिए जवानों (उम्र से नहीं, बल्कि दिलो-दिमाग से जवान!) की जमात जैसे बापु के पीछे चल पड़ती थी और समय-समय पर किये गये सत्याग्रह-युद्ध के आवाहन पर देश के कुर्बानी के लिए उमड़ पड़ती थी, वैसी ही आग—कुर्बानी की भावना

और जोश आज नहीं है। यद्यपि नयी समाज व्यवस्था की क्रांति अहिंसक रीति से लानी है, तो भी उसमें भू-दान और केन्द्रित उद्योग के बहिष्कार को व्यापक बनाना तथा सफल करना बहुत आवश्यक है।

नियमितता और पाबंदी

ठिगने कद और गठीले बदन के श्री देव फुरती, तीक्ष्ण बुद्धि, गंभीर आवाज, खरी आलोचना तथा स्पष्ट व प्रेरक मार्गदर्शन के कारण एक साथ अच्छे योद्धा, तार्किक और नेता दिखायी देते थे। हटुडी में राजस्थान के रचनात्मक कार्यकर्ताओं के प्रथम सम्मेलन के समय उनका वजन काफी कम मालूम देता था, किन्तु उनके मुख के तेज और उनकी वाणी के ओज में कोई कमी नहीं दिखायी दी। दिल्ली में राजस्थान का कार्यक्रम शुरू होने के ठीक पहले उसके तफसील की चर्चा आदि के लिए मिलने पर जब उनसे कहा गया कि वे पहले की अपेक्षा काफी दुबले दिखते हैं और पूछा कि उनका स्वास्थ्य तो ठीक है या नहीं, तो उन्होंने मुस्करा कर कहा था कि स्वास्थ्य बिलकुल ठीक है और शरीर में कुछ कृशता आने का कारण तो महाराष्ट्र व दक्षिण भारत में पिछले दिनों बराबर पद-यात्रा करते रहना है। भोजन व रहन-सहन की नियमितता, समय की पाबंदी और आजीवन ब्रह्मचर्य के पालन ने उन्हें मानो काफी शक्तिशाली, कष्टसहिष्णु और तेजस्वी बना दिया था। एक साथ अठारह-बीस मील की पदयात्रा के बाद भी वे प्रार्थना, सभा, कार्यकर्ताओं से चर्चा आदि किसी कार्यक्रम में कमी नहीं होने देते थे और न समय ही बदलने देते थे। देर से, दस-ग्यारह बजे रात तक सो पाने पर भी प्रातः साढ़े तीन-चार बजे से पत्र-व्यवहार, पुस्तक-वाचन, यात्रा में महाराष्ट्र के साथ आयी बहनों को गीता या अन्य ग्रंथ के शिक्षण-अध्यापन आदि कार्य वे नियमपूर्वक शुरू कर देते थे और सूर्योदय की नियमितता की भाँति उनका नित्य का कार्य आरंभ हो जाता था। लम्बी पैदल यात्रा में शयन व विश्राम के लिए कम

समय मिलने पर भी, अन्य कार्यों में पाबंदी जवान कार्यकर्ताओं को भी चकित कर देती थी।

आशातीत सफलता

देश के एक मान्य नेता, गांधी-विचारधारा के एक निष्णात विद्वान और सर्व सेवा संघ के मंत्री, श्री देव की ख्याति के अलावा भारत के एक संत के न सिर्फ भेष, बल्कि वैसे ही उच्च जीवन तथा विद्वता और ओजपूर्ण वाणी ने उनकी भू-दान की इस यात्रा को जितनी आशा थी, उससे कुछ अधिक ही सफल कर दिखाया। संबंधित क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने श्री देव की इस यात्रा से नया वातावरण और भू-दान के प्रति लोगों में नयी जिज्ञासा उत्पन्न होते देखा। पुराने विचारों और एक खास प्रकार के तंत्र में जीवन बिता देने वाले व्यक्तियों, राज्याधिकारियों व राजकर्मचारियों, अध्यापकों, वकीलों आदि से भी भू-दान आंदोलन कुछ हो सकते हैं और उससे क्रांतिकारी कार्य हो सकता है, यह समझा और अनुभव किया। राजस्थान में शिक्षा व चेतना का जो कुछ अभाव है उसके कारण और प्रचार की कमी के कारण, यद्यपि श्री देव के आगमन का संदेश बहुत फैल नहीं सका था, फिर भी भूदान व नयी विकेन्द्रित समाज-व्यवस्था और ग्रामोन्मुख सभ्यता तथा संस्कृति के बारे में लोगों में काफी जिज्ञासा इस पदयात्रा के कारण उत्पन्न हुई है।

श्री देव के व्यक्तित्व के कारण ही जहां इस यात्रा में कार्यकर्ताओं को दस-बारह हजार बीघा जमीन मिलने की आशा थी, वहां पचीस हजार बीघा से अधिक भूमि इस यज्ञ के निमित्त मिली। आवश्यकता इस बात की है कि जो नया वातावरण बना है उसका भूदान-समिति लाभ उठावे और भूदान का संदेश व्यापक करने में इस यात्रा के अनुभवों का उपयोग करें।

राज्य की ओर की आहुति

राजस्थान राज्य ने श्री देव की यात्रा के आरम्भ में ही भीलवाड़ा की पहली सभा में राज्य की ओर से एक लाख बीघा भूमि इस आंदोलन के अंतर्गत दी जाने की घोषणा करके देश में एक उदाहरण पेश किया है।

बीस हजार बीघा जमीन राज्य शीघ्र देगा तथा शेष जमीन भी धीरे-धीरे दी जावेगी। जैसा कि श्री देव ने कहा, राज्य के इस दान ने जहां दूसरे राज्यों के लिए तथा भूमि वालों के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश किया है, वहां कार्यकर्ताओं का भी एक दायित्व बढ़ाया है। राज्य की मशीनरी के द्वारा अन्य कामों की भाँति भूमि-वितरण में भी काफी ढिलाई, पक्षपात, रिश्तखोरी आदि की आशंका रहती है और पू. विनोबाजी को राज्य ने भूमि दान दिया, इसका अर्थ यह होता है कि उनके द्वारा उसके अधिक न्यायपूर्वक और समता के आधार पर भूमि वितरित की जाने का राज्य को विश्वास है। इस विश्वास को निभाने के लिए जिन्हें भूमि मिलनी चाहिए, यानी जिनमें उसके लिए वास्तविक भूख हैं और जो उसके जरिये ही स्वयं खेती करके अपना जीवन-यापन करना चाहते हैं उनमें ही इस भूमि को बांटना, यह कार्यकर्ताओं की तत्परता और कर्तृत्वशक्ति पर निर्भर है।

कार्यकर्ताओं पर दायित्व

भूमि-दान आंदोलन भूमि तथा सम्पत्ति की प्राप्ति और उसके सम-वितरण, दोनों ही कार्यों की दृष्टि से एक महान् क्रांतिकारी कार्यक्रम है। असल में प्राप्ति और वितरण तो एक ही सिक्के दो पहलू हैं। यज्ञ में प्राप्त भूमि का जो भागीदार होगा वह गांधीजी की विचारधारा का, नयी समाज-व्यवस्था का संदेशवाहक और प्रतीक होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को उसे भूमि देकर ही चुप नहीं बैठना है, बल्कि उसके जरिये गांव-गांव को सुखी और स्वावलंबी बनाने का काम करना है। यदि यात्रा में मिली भूमि का भागीदार किसान भी शोषित बना रहेगा या शोषण करता रहेगा तो वह स्थिति भूमि-दान आंदोलन की भावना व प्रतिष्ठा के लिए अशोभनीय होगी। कहना नहीं होगा कि श्री देव की यात्रा के बाद भूमि-दान आंदोलन में वेग लाने और उसके जरिये समाज में नवजीवन व चेतना प्रस्फुति करने का राजस्थान के कार्यकर्ताओं का दायित्व और भी बढ़ गया है। □

गया में भूदान के लिए बहनों का अनिवार्य आवाहन

□ दामोदरदास मूँड़ा

चाहे वह आजादी की लड़ाई हो
या भूदान-यज्ञ और संपूर्ण क्रांति
का आंदोलन, प्रदेश और देश की
महिलाएं पुरुषों से जरा भी पीछे
नहीं रहीं। इस तथ्य को पुष्ट करता
यह आलेख।

-कार्य. सं.



एक दूसरे के अनुभवों का आदान-प्रदान करती हैं। पूर्णमासी के चन्द्रमा को देखकर सागर में जैसी लहरें ऊँची-ऊँची उठती जाती हैं, उन बहनों के परस्पर-मिलन से वैसे ही सुख की अनुभूति होती है। भगत-भेंट का प्रत्यक्ष दर्शन ही वह होता है। भूदान-यज्ञ का यश और उसकी सफलता शब्दों और भावों में साकार हो जाती है।

विविध अनुभव

एक टोली ने अपना अनुभव बताया : तीन रोज में सत्रह गांव, एक सौ छब्बीस दान-पत्र, दान-पत्र सभी गांवों से। दूसरी टोली ने गयारह गांवों की यात्रा की। गयारह में से नौ गांवों ने दान पत्र दिये। एक गांव से पहले ही आठ एकड़ मिल चुका था। दूसरे गांव ने पुनः आने की प्रार्थना की थी। तीसरी टोली ने सत्ताईस गांवों की यात्रा करके एक सौ उनचास दान-पत्र प्राप्त किये। इस टोली में लोग कुछ अधिक थे। चौथी टोली ने बताया कि नौ गांवों में से पैंतीलीस दान-पत्र प्राप्त किये हैं। जमीन चौदह बीघा मिली है। एक और टोली ने बताया कि उसे सात गांवों से सत्तर दान-पत्र और दस एकड़ भूमि मिली।

त्याग की मिसालें

मखदूमपुर की दो हपते की यात्रा में चंद बहनों ने ही नौ सौ सैतलीस दान-पत्रों द्वारा दो सौ बीघा जमीन प्राप्त की। आयीं तब से कम अवधि में ही दो हजार दान-पत्र और

सात सौ बीघा जमीन हो चुकी है। इसके सिवा महान् एवं आदर्श त्याग की भी कई घटनाएं घटी हैं। इन्हीं चाद दिन की यात्रा में एक टोली को पांच गृहदान मिले, जिसमें एक हरिजन बहन मूर्गेश्वरी का था। चार गांवों में सभी भूमिवानों से दान मिला। कानपुर के एक किसान कैलाश पासवान ने अपनी सारी जमीन दें दी। इस गांव से प्रायः सभी ने दान-पत्र दिये हैं। ऐसे पावन प्रसंग पिछले डेढ़ मास में अनेक हुए हैं।

कसौटी भी

बहनों को जहां इस प्रकार सद्भावना और सर्वस्व त्याग का साक्षात्कार हुआ था, वहां कहीं-कहीं उनकी कठोर कसौटी भी हुई।

छतियाना नामक गांव में एक भूमिवान भाई ने अपने यहां डेरा रखने से मनाही कर दी। बहनों ने दरख्त के नीचे रहना पसंद किया। गांव वालों को मालूम हुआ, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। फिर तो उस घर वालों को भी पछतावा हुआ।

एक गांव के राजपूतों ने कहा कि देना तो तलवार से ही होगा। पर उसी गांव में एक वृद्ध राजपूत से भूदान प्राप्त करने में सफलता मिली। फिर तो उसकी स्त्री ने भी अपनी जमीन का तीसरा हिस्सा दिया और दूसरे लोगों ने भी देना शुरू किया। न देने वालों में अक्सर भूमिहार और मुसलमान भी ही होते हैं, ऐसा अनुभव बहनों का है।

टोलियां जैसे-जैसे देहातों से लौटती हैं,

एक आश्र्वजनक घटना हुई। मखदूमपुर में साम्यवाद का काफी प्रचार है। हमारे संयोजक, श्री बजरंगी बाबू का लड़का खुद कम्युनिस्ट है। इस इलाके से भी कार्यकर्ता, जिनका झुकाव कम्युनिस्टों की ओर था, भूदान के कार्य में जुट गये हैं।

बिहार का स्नेह

इन बहनों की ओर जनता कितनी आशा और आदर की निगाह से देखती है, यह एक देहात के लोगों द्वारा उन्हें दिये गये मान-पत्र के भावों से प्रकट होता है :

“हमारे अतिथि! आप हम लोगों के यहां पधारीं, हम लोगों का हृदय आनन्द-मिश्रित उदासी से भर गया है। मुझी भर अन्न, कुशासन और मीठे वचनों के अतिरिक्त हमारे पास है ही क्या? लेकिन आप लोगों ने ललक कर इसे अपनाया। आपके त्याग ने हम लोगों को आश्र्य में डाल दिया।

“कष्ट-सहिष्णु! आप लोगों ने गरीबों की भूख रूपी ज्वाला के मसले को सुलझाने के लिए गांव-गांव पैदल चल कर हम बिहारवासियों के सामने एक आदर्श उपस्थिति किया है। आपकी सेवा इस प्रांत के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी। आप लोग पूज्य बाबा का भूदान-यज्ञ सफल बनाने के लिए जो गांव-गांव घूम रही हैं, उससे हम ग्रामवासियों में नयी उमंग, नया उत्साह एवं नव-विचार का निर्माण हो रहा है। और लोग खुशी-खुशी दान दे रहे हैं। आप लोगों ने शांति से हम लोगों के ऊर में विचारों की क्रांति पैदा की है। समाज के कमजोर पहलुओं से हम सभी अवगत हैं, किन्तु उनकी मरम्मत के लिए जिस त्याग की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति आप लोगों के द्वारा हो रही है। आपने अपने घरों से इतनी दूर आकर सामाजिक एवं आर्थिक विषमता के निवारण के निमित्त जो कदम उठाया है, वह समाज को नया रूप दिये बिना नहीं रहेगा।”

उपर्युक्त विचारों में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें शक ही नहीं कि ये बहनें गया में इतिहास निर्माण कर रही हैं।

बहनों के लिए पराक्रम की चीज

मखदूमपुर थाने में जमीन कीमती भी बहुत है। ऐसा होते हुए भी वहां बहनों को अच्छा यश मिल रहा है। सारा थाना जाग उठा है। देने की हवा चल पड़ी है। कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिल रही है। जितनी टोलियां हैं, उनके साथ उतने स्थानिक कार्यकर्ता भी हैं। ये वे लोग हैं, जो काम तो करना चाहते थे, किन्तु पक्ष-निष्ठ राजकारण से तंग आकर कुछ उदासीन थे। ठीक काम की प्रतीक्षा में थे। उनके अनुकूल काम भी मिला और निरपेक्ष लोगों से प्रेरणा भी मिली। इसलिए अब तक जो खामोश बैठे थे, वे जाग उठे। बहनों की उपस्थिति ने उन्हें जगा दिया। दैनंदिन राजकाज से जिन्हें कभी फुरसत नहीं है, वे भी अब धीरे-धीरे इधर झुके बिना नहीं रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि भाइयों को इस महायज्ञ में सहयोग देने के लिए तैयार करने, का काम अब विनोबा के संदेशवाहक बनकर बहनों को करना है। इस कार्य के लिए

सद्भावना, मैत्रीभाव, वात्सल्य, निर्वरता और आत्मौपम्य आदि जिन गुणों की आवश्यकता है, वे भी बहनों में अधिक विकसित होते हैं। इसलिए जैसे कृष्ण के जमाने में ग्वाल-बालों ने पुरुषार्थ किया, राम के जमाने में बानर-सेना का चमत्कार प्रकट हुआ, वैसे ही इस आंदोलन में बहनों की शक्ति के विनियोग की शक्यता विशेष रूप से प्रातीत होती है।

भूदान का आवाहन

महावीर स्वामी के जमाने में अगर सहस्रों बहनें संन्यास लेकर समाज में अहिंसा-धर्म की संदेशवाहक बन सकीं, तो आज समाज को परिग्रह से अपरिग्रह की ओर ले जाने का विनोबा का संदेश घर-घर पहुंचाने के लिए हमारी बहनें अगवानी क्यों नहीं कर सकती। वैसी प्रेरणा उनमें जाग उठी है। इस आंदोलन ने आज उन्हें ललकारा है। विधायक पुरुषार्थ के लिए महान् अवसर इसमें है। एक अनिवार्य आवाहन ही है—इस आंदोलन में उनके लिए और उनके नाम पर काम करने वाली संस्थाओं के लिए भी। आशा है रचनात्मक काम करने वाली स्त्री-संस्थाएं इस संबंध में गंभीरतापूर्वक सोचेंगी। □

सर्व सेवा संघ भूमि घोषणा-पत्र जारी करेगा

केन्द्र सरकार द्वारा लाया गया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश गरीबों एवं किसानों का विरोधी तथा कॉर्पोरेट हितों का समर्थक है। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मा तथा गांवों के साथ द्वोह है।

सर्व सेवा संघ (अ. भा. सर्वोदय मंडल) के अध्यक्ष श्री महादेव विद्रोही ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि किसानी एवं गांवों को केन्द्र में रखकर हम एक भूमि घोषणा-पत्र जारी करेंगे।

श्री महादेव विद्रोही ने देशभर में फैले सर्वोदय कार्यकर्ताओं, स्वैच्छिक संगठनों, किसान संगठनों तथा नागरिकों से अनुरोध किया है कि भूमि घोषणा-पत्र के लिए अपने सुझाव निम्न पते पर भेजें-

**सर्व सेवा संघ, महादेव भाई भवन, सेवाग्राम-442102, जिला-वर्धा (महाराष्ट्र)
फोन : 07152-284061 / 284091,**

ई-मेल : sarvasevasangha@hotmail.com / sarvasevasangha@yahoo.in

-मारोती गावंडे, कार्यालय मंत्री

सर्वोदय जगत

बोलती तस्वीरें

उपवास सत्याग्रह

जन्तर मंतर, नई दिल्ली : 25-26 मार्च, 2015



और अंततः

...देखि रे मैंने निर्बल के बल राम!

□ अशोक मोती

8 मार्च 1951 की सुबह परमधाम (पवनार) आश्रम से विनोबा पैदल निकल पड़ते हैं शिवरामपल्ली (हैदराबाद दक्षिण) जहां 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 1951 को होने वाले 'सर्वोदय सम्मेलन' में भाग लेना है। सारे देश में यह बात फैल गयी और लोगों में आनन्द की लहर दौड़ गयी। विनोबा की पदयात्रा साथ में ढोल-नगाड़े पर धिरकते लोग। दरअसल यह एक प्रेरणा की ही लहर थी, जिस चीज की भारत देश को सबसे अधिक जरूरत थी। विनोबाजी जिस साधना के लिए जिस 'साम्ययोग' के प्रयोग में जुटे थे वह दिव्य ज्योति, एक रोशनी उन्हें दिखी थी कि कैसे अर्थ की अनर्थकारी, परावलम्बी और सुखाभासी प्रवृत्ति की बेड़ियों से आम जनता को मुक्त कर श्रम को श्रेयस्कारी, स्वावलम्बी, सात्त्विक और सुखदायी जीवनक्रम की प्रतिष्ठापना की जा सके।

विनोबा की इस यात्रा में देश की पुकार प्रतिध्वनित हुई। हालांकि विनोबा के निकट परिचितों के लिए भी यह यात्रा-निर्णय अनपेक्षित था बल्कि खुद विनोबा के लिए भी। इसीलिए विनोबा ने स्वयं इस यात्रा को ईश्वर प्रेरित (गॉड प्लान) की संज्ञा दी थी।

6 मार्च को सर्व सेवा संघ की बैठक थी। विनोबाजी का 27 फरवरी से 7 मार्च तक सेवाग्राम में ही नई तालीम सम्मेलन के निमित्त रहना तय था, इसलिए सर्व सेवा संघ की बैठक 6 मार्च को रखी गयी थी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा शिवरामपल्ली-सम्मेलन का कार्यक्रम और विषय-सूची तय करना था। इसी सिलसिले में सर्वोदय-समाज और सर्व सेवा संघ के परस्पर संबंध क्या हैं, क्या हो आदि चर्चा भी छिड़ी। क्योंकि इस

बारे में उस समय तक कई के ख्याल साफ नहीं थे। यद्यपि विनोबाजी ने अनुगूल सम्मेलन के बाद उनकी द्वारा लिखित 'सर्वोदय समाज और सर्व सेवा संघ' एक पुस्तिका द्वारा लोगों के मन में गलतफहमियां साफ करने की कोशिश की थी।

इसी चर्चा के दौरान एक भाई ने विनोबाजी से पूछा—आप शिवरामपल्ली सम्मेलन में आने वाले हैं कि नहीं? विनोबाजी ने कहा—“आने का विचार नहीं है।” पूरे वातावरण में सत्राटा छा गया। उनके निकट परिचित तो और भी निःस्तब्ध रह गये। लोगों के आंखों में थे सिर्फ आंसू। एक भाई ने सत्राटे में ही किन्तु दृढ़ शब्दों में विनोबा के सामने दो टूक बातें रखीं—‘सर्वोदय समाज और सम्मेलन आपकी ही प्रेरणा का फल है, वह अभी बाल्यावस्था में है। दूर-दूर से सेवक सत्संग के लिए आते हैं एवं खास नेतृत्व नहीं मिलने से निराश लौटते हैं, ऐसी हालत में आप न आवें तो कैसे चलेगा? इससे तो बेहतर है कि सम्मेलन बंद कर देना चाहिए।

क्षण भर तो विनोबा स्तब्ध रहे, किन्तु तत्क्षण उन्होंने पता नहीं कैसे और क्या विचार किया और नहीं आने की बात जितने शब्दों में और जिस तटस्थिता से कही थी उतने ही शब्दों में और उतनी ही तटस्थिता से कहा—“अच्छा मैं आता हूं।” जबाब प्रकट करने से पहले हालांकि उन्होंने पूछ लिया कि सम्मेलन स्थान यहां से कितनी दूर है? जबाब मिला—तीन सौ मील समझ लीजिए। विनोबाजी के आने का सुनकर सबको आनन्द हुआ, लेकिन शायद ही किसी के ख्याल में आया हो कि विनोबाजी सम्मेलन में पैदल आयेंगे। बैठक के बाद तरंत प्रार्थना हुई और अंत में विनोबाजी ने लोगों में आनन्द की लहर दौड़ा दी यह धोषणा कर कि परस्पै 8 तारीख को सम्मेलन के लिए पैदल निकलूंगा। इस पैदल के बजाय वाहन से जाने के लिए मुझे कायल करने में मेरे मित्र लोग अपनी बुद्धि शक्ति न चलाकर पैदल यात्रा कैसे सुखकर व शुभकर होगी, इसका ही ख्याल करे।

विनोबा ने इस पदयात्रा को ईश्वरेच्छा की संज्ञा दी और कहा—‘परमधाम में एक

काम—साम्ययोग—प्रयोग प्रारम्भ हुआ है। उसको कुछ आकार आने तक बाहर कहीं जाने का मन में नहीं था। फिर भी ईश्वरेच्छा मानकर जाने का निर्णय लिया है।...जिस ढंग से अभी जाने का तय हुआ है, उसमें ईश्वर का ही हाथ मैं मानता हूं।

स्पष्टतः इसी पदयात्रा से विश्व की ऐतिहासिक भू-क्रांति पैदा हुई। सर्वोदय सम्मेलन के बाद रामनवमी को 15 अप्रैल 1951 से विनोबा ने तेलंगाना से साम्यवाद—पीड़ित प्रदेश की दुःख-विमोचन-यात्रा पैदल ही शुरू की। 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली गांव के रामचन्द्र रेड़ी ने भूदान-यज्ञ की ऐतिहासिक शुरुआत की, जो साम्यवाद से इतर एक नई राह थी।

विनोबा ने कहा—“वैसे तो सारे हिन्दुस्तान में हर जगह दुःखी लोग हैं किन्तु आपके इस मुल्क में बहुत ज्यादा तकलीफ है—कम्युनिस्टों की वजह से। लेकिन हम तो कम्युनिस्टों से नहीं डरते हैं, कम्युनिस्ट कोई राक्षस नहीं है। हमारे जैसे ही वे हैं—हमने उनसे जेल में रामनवमी के दिन मुलाकात भी कर ली है। गांधी ने हमें एक बड़ा रास्ता बताया है। उन्होंने बताया कि हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। जो दुःखी हैं उनको जरा सब रखना चाहिए। अगर हम सहन नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। अगर गरीब-दुःखी लोग हिम्मत रखेंगे और सुखी लोग दयाभाव रखेंगे तो आपके गांव में कम्युनिस्टों का कोई उपद्रव नहीं हो सकता।

इस तरह विनोबा के इस ईश्वरीय पदयात्रा ने दुनिया को एक नई रोशनी दी और चंद दिनों में ही लगभग 10 हजार एकड़ जमीन लोगों ने स्वयं स्फूर्त श्रद्धा व प्रेमपूर्वक दान में दे दी और यहीं से दुनिया में पहली बार 'भूदान' की मिसाल कायम हुई। बाद में विनोबा के शिष्य और कट्टर मार्क्सवादी से समाजवादी बने जयप्रकाश नारायण ने भूदान के लिए 'जीवन-दान' देने की एक नई मिशाल कायम की। गांधी के जाने के बाद निर्बल को गांधी के राम का शायद बल मिल गया और दुनिया ने देखी 'निर्बल के बल राम यानी विनोबा व जयप्रकाश!' □